



कृष्णम्

ग्रामीण विकास को समर्पित


वर्ष 62

अंक : 02

पृष्ठ : 52

दिसम्बर 2015

मूल्य: ₹ 10




ग्रामीण भारत में
सामाजिक बदलाव

‘लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन’ का लोकार्पण



माननीय सूचना और प्रसारण तथा वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने ‘लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन’ पुस्तक का 46वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, गोवा में लोकार्पण किया। साथ में, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, देविका भिसे और फ़िल्म निर्देशक कबीर खान भी मौजूद हैं।




दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं पर केंद्रित पुस्तक ‘लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन’ का लोकार्पण केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2015 के दौरान गोवा में किया। यह प्रकाशन विभाग की नवीनतम पुस्तक है। लोकार्पण के मौके पर सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, फ़िल्म निर्देशक कबीर खान और अन्य अभिनेत्री देविका भिसे भी मौजूद थीं।

प्रकाशन विभाग विभिन्न विधाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है। इसी क्रम में भारतीय फ़िल्म जगत में योगदान करने वाली विभूतियों पर भी विभाग द्वारा लगातार दस्तावेज रूपी प्रकाशनों का प्रयास किया जाता रहा है। यह नवीनतम प्रकाशन इसी की एक कड़ी है। पुस्तक में 1992 से 2014 तक के 23 पुरस्कार विजेताओं पर केंद्रित आलेखों का संग्रह है इनमें दिलीप कुमार, गुलजार, के बालचन्द्र, शिवाजी गणेशन, भूपेन हजारिका, हृषिकेश मुखर्जी, मजरुह सुल्तानपुरी, आशा भौसले आदि प्रमुख हैं।

लेखकों में प्रख्यात फ़िल्म लेखक व समालोचक जैसे सैबाल चटर्जी, रसेल डवेयर, जय अर्जुन सिंह आदि शामिल हैं। इन लेखकों ने भारतीय सिनेमा में इन सितारों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा की है। साथ ही, इन फ़िल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व पर भी पैनी दृष्टि से आलेख लिखे हैं। उम्मीद है कि विविध स्रोतों से प्राप्त कुछ दुर्लभ चित्रों के साथ प्रकाशित ये बहुरंगी पुस्तक पाठकों को पसंद आएगी।

इससे पहले प्रकाशन विभाग द्वारा कन्साइंस ऑफ रेस: इंडियाज ऑफबीट सिनेमा, समय सिनेमा और इतिहास, भारतीय सिनेमा के सौ साल तथा ग्रेट मास्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा जैसी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जो भारतीय फ़िल्म जगत पर केंद्रित हैं।



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 62 ★ मासिक अंक : 02 ★ पृष्ठ : 52 ★ अग्रहायण—पौष 1937★दिसम्बर 2015

प्रधान संपादक

दीपिका कच्छल

वरिष्ठ संपादक

कैलाश चन्द मीना

संपादक

ललिता खुराना

संपादकीय पत्र—व्यवहार

वरिष्ठ संपादक,

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003

दूरभाष : 24365925

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई—मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक

विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011—24367453

ई—मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण

राजेश कुमार

सज्जा

आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये

वार्षिक शुल्क : 100 रुपये

द्विवार्षिक : 180 रुपये

त्रिवार्षिक : 250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

सार्क देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)

अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

	बदलते गांव, उभरता भारत	आशुतोष कुमार सिंह	6
	बदल रहा है समाज, बदल रहा है देश	रवि शंकर	12
	अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता	डॉ. ऋष्टु सारस्वत	15
	शिक्षा से आया ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव	पार्थिव कुमार	18
	भीमराव अम्बेडकर का ग्रामीण दृष्टिकोण	डॉ. श्रीनाथ सहाय	23
	सामाजिक बदलाव में सामुदायिक रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट	हेमंत जोशी	26
	वित्तीय समावेशन से सामाजिक बदलाव	सरीश सिंह	29
	स्मार्ट गांव से सशक्त भारत	उमाशंकर मिश्र एवं डॉ. रश्मि बोहरा	35
	सूचना का अधिकार ला रहा है गांवों में बदलाव	अर्गविंद कुमार सिंह	38
	डिजिटल क्रांति से बदलता ग्रामीण समाज	ललन कुमार महतो	41
	कैसे करें अपना बचाव आकाशीय बिजली से	अशोक मतोरम	46
	सौर ऊर्जा से मिटा गांव का अंधेरा	संदीप कुमार	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48—53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली — 110003 से पत्र—व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48—53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली — 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011—24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबें/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर ले। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय—वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

सुन्पादकीय

देश को आजाद हुए 68 वर्ष हो चुके हैं और स्वाधीनता के इन 68 वर्षों में देश काफी आगे निकल गया है। महानगरों से लेकर गांवों तक में स्थितियां काफी बदली हैं। गांव पहले से ज्यादा समृद्ध हुए हैं और ग्रामीण ज्यादा जागरूक हुआ है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज देश में जो सामाजिक बदलाव दिख रहा है उसकी पटकथा का बड़ा हिस्सा डा. भीमराव अम्बेडकर का ही लिखा हुआ है। हम यदि आज से सौ वर्ष पहले की स्थिति को स्मरण करें तो ध्यान में आता है कि समाज में छुआछूत, अशिक्षा, लड़कियों के प्रति भेदभाव जैसी अनेक बुराईयां व्याप्त थीं। बाल विवाह और उसके कारण विधवाओं की समस्या, दहेज प्रथा और उसके कारण बहुओं को जलाया जाना, बंधुआ मजदूरी आदि अनेक सामाजिक रुद्धियां समाज का अभिशाप बनी हुई थीं। छुआछूत की समस्या भी बेहद भयंकर थी।

संविधान की प्रस्तावना और अनेक कानूनी प्रावधानों के द्वारा छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। और धीरे-धीरे इन्हें पूरी तरह से तो नहीं मिटाया जा सका लेकिल इन पर काफी हद तक काबू अवश्य पाया गया है। आज भी छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि की खबरें सुनने को मिल जाती हैं लेकिन इनकी व्यापकता काफी कम है और कानून के डर से ऐसी घटनाएं सामने कम आती हैं।

साक्षरता और शिक्षा ने ग्रामीण भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 71 प्रतिशत है जोकि शहरी क्षेत्रों की 84 प्रतिशत साक्षरता के काफी करीब है। यह आंकड़ा ही ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर को काफी स्पष्ट कर देता है। गांवों में सामाजिक बदलाव को देखने—समझने के लिए मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व आवास की स्थिति का अवलोकन करना आवश्यक है। आजादी के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इसके लिए भारत सरकार शुरू से ही प्रयत्नशील है। वर्तमान में 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' सूक्त, ग्रामीणों के लिए बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज कोर्सेस की शुरुआत, मानव विकास को समर्पित दीनदयाल उपाध्याय केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण भारत को तकनीक व उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान या लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया गया 'उड़ान' कार्यक्रम सरकार की शिक्षा की स्थिति सुधारने की मशा को जाहिर करते हैं। सभी योजनाओं ने भारतीय शिक्षा की रफतार को नई दिशा दे दी है। अब तो भारतीय बच्चों को ज्ञान भंडार से जोड़ने के लिए 'राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी' की स्थापना भी की जा चुकी है। सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू किए गए 'दोपहर भोजन' कार्यक्रम का ग्रामीण भारत पर व्यापक सकारात्मक असर पड़ा है।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। देश में प्रसव—पूर्व या प्रसव के दौरान जच्चा—बच्चा की मृत्यु की घटनाएं काफी कम हुई हैं। पोलियो का देश से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। और गंदे पानी से और गंदगी से फैलने वाली कई बीमारियों पर काफी हद तक काबू किया जा सका है। यहीं नहीं देश में जीवन प्रत्यक्षा आयु भी बढ़ी है। डबल्यू एच.ओ. भारत स्वास्थ्य प्रोफाइल 2012 के अनुसार भारत में अभी जीवन प्रत्यक्षा आयु 66 वर्ष है। ग्रामीण इलाकों में पकड़ी सड़कें बनने और शहरों से जुड़ने से न केवल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि ग्रामीणों का आर्थिक—स्तर भी बढ़ा है। सड़कों की सुविधा ने जहां परोक्ष रूप से बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है वहीं मुख्य सड़क से जुड़े स्थानों में औसत मासिक परिवार की आय भी बढ़ी है चूंकि उन्हें वहां वैकल्पिक रोजगार जैसे प्रोविजन स्टोर, चाय—पान की दुकान तथा साइकिल—स्कूटर मरम्मत की दुकान आदि खोलने से कमाने का अवसर उपलब्ध हुआ है।

'सभी गरीबों को आवास' के सूक्त वाक्य के साथ शुरू की गई इंदिरा आवास योजना ने भारतीय ग्रामीण जनता के जीवन को एक नई दिशा दी है। योजना के तहत वर्ष 2013–14 में ही 1373 लाख मकानों का निर्माण किया गया। कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत सरकार ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर रही है। इस योजना ने जहां गांव के युवाओं में उत्साह का संचार किया हैं वहीं आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत भी किया है। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी आधी आबादी को मजबूत करना ही पड़ेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो आज भारत की महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी हैं। गांवों में लड़कियों में पढ़ने की ललक बढ़ी है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहता है। लड़के—लड़की के बीच भेदभाव कुछ हद तक कम हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अब न केवल पढ़—लिख रही हैं बल्कि स्वर्यस्हायता समूहों के जरिए स्वावलंबन की ओर भी अपने कदम बढ़ा रही हैं। यहीं नहीं पंचायतों में बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी से राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। उल्लेखनीय है कि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में एक तिहाई जगह महिलाओं के लिए आरक्षित की गई जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत तक महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महिलाएं हो या अनुसूचित जाति व जनजाति सभी की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में भी एक सकारात्मक बदलाव आया है। समाज के सभी क्षेत्रों में इनका प्रभाव और योगदान बढ़ा है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक न्याय की चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। अभी भी काफी कुछ करना शेष है। सरकार के साथ—साथ आज बड़े पैमाने पर सामाजिक पहलों की भी आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्थाओं को निरस्त करने की बजाय यदि उन्हें शिक्षित, सभ्य और जागरूक बनाया जाए तो वे सामाजिक परिवर्तन की बड़ी वाहक बन सकती हैं।

निसंदेह रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टि से ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। गरीबी का स्तर कम हुआ है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सामाजिक बुराईयां कम हुई हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि आज का ग्रामीण जागरूक हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत ग्रामीण देश—विदेश में आ रहे बदलाव से परीचित हो रहा है और ये बदलाव उसे भी गहरे तक प्रभावित कर रहे हैं परिणामस्वरूप वो भी अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

अब आपका अपना सपनों का घर

सिर्फ ₹ 12 लाख* में

* शर्तें लागू



और शर्तें लागू का मतलब क्या है?

- क्लब सदस्यता के लिए शुल्क अतिरिक्त
- पार्किंग के लिए शुल्क अतिरिक्त
- अग्नि प्रतिरोधक शुल्क अतिरिक्त
- सुरक्षा शुल्क अतिरिक्त
- बाहरी निर्माण शुल्क अतिरिक्त



कुछ लुभावने विज्ञापन आपको भ्रमित कर सकते हैं!

सिर्फ विज्ञापन के आधार पर ही निर्णय न लें। सभी पहलुओं को जाँच परख कर ही अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करें।

darp 08/10/13/00321516



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

वेबसाइट: www.consumeraffairs.nic.in

द्वारा जनहित में जारी

आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए www.nationalconsumerhelpline.in और www.core.nic.in (टॉल फ्री नंबर 1800-11-4566) पर भी लोग इन कर सकते हैं
भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिए www.gama.gov.in पर लोग इन करें।

उपभोक्ता संबंधी मुद्दों के संबंध में किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण के लिए कॉल करें:

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर

1800-11-4000

बदलते गांव, उभरता भारत

— आशुतोष कुमार सिंह

बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को शिक्षित करने पर बहुत बल दिया था। उनका मानना था कि यदि भारत को बदलना है तो सभी को शिक्षित करना जरूरी है। खासतौर से वे देश के दलित समुदाय से हमेशा अपील करते थे कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। आप शिक्षित हो गए तो अपने अधिकारों को खुद ही ले सकते हैं, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश आगे बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे गांव आगे बढ़ रहे हैं। खैर, अब समय आ गया है कि प्रत्येक भारतवासी बदलाव के इस सुनहरे एहसास को कायम रखते हुए इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

ब्रिटेन

टेन के बेम्बले स्टेडियम से प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए जब भारत के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि मुझे हिन्दुस्तान के 18000 गांवों तक आगामी 1000 कार्यदिवसों में बिजली पहुंचानी है; 2019 तक हिन्दुस्तान के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराना है; हमारा सपना है कि देश के सभी गांवों में रोशनी पहुंचे। देश के प्रधान की कही इस बात से जाहिर है कि भारत रोटी-कपड़ा और मकान से आगे बढ़कर बिजली, सड़क, पानी, शौचालय, शिक्षा व तकनीक की बात कर रहा है। अलवर जिले के एक गांव में रहने वाले इमरान खान (जिन्होंने बच्चों के लिए ऐप बनाया है और गांव के बच्चों को निःशुल्क

दिया है) की चर्चा जब प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर करते हैं तो हिन्दुस्तान के गांवों के बढ़ते कदमों की आहट को पूरी दुनिया महसूस करती है।

बदलता भारत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 32.95 फीसदी गांवों की आबादी 500 से कम है जबकि 58.17 फीसदी गांवों की आबादी 2000 से अधिक है। अधिकांश ग्रामीण आबादी खेतीबाड़ी से जुड़े कार्यों में लगी है। छोटे-छोटे खेतों से जीवनयापन करना दुष्कर कार्य है और ऐसे खेतों पर 80 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी निर्भर करती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम





होने के बावजूद यह क्षेत्र आज भी देश की लगभग 50 फीसदी का मामगार आबादी और लगभग दो तिहाई ग्रामीण कामगार आबादी को रोजगार देता है।

कम हुई गरीबी— लगभग 43 फीसदी परिवारों के मुख्य स्रोत के लिए, गैर-कृषि कार्यकलापों पर निर्भर होने के कारण ग्रामीण गरीबी में काफी कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 90 के दशक के पहले 50 फीसदी से अधिक रहा है। 90 के दशक के मध्य आते-आते थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद इस अनुपात में तेजी से कमी आयी। वर्ष 83–94 के बीच ग्रामीण—गरीबी अनुपात में हर वर्ष एक फीसदी तथा शहरी गरीबी अनुपात में हर वर्ष 2.4 फीसदी की कमी आई। वर्ष 99–10 में गरीबी की रफ्तार बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में 2.7 फीसदी तथा शहरी क्षेत्रों में 4.8 फीसदी जा पहुंची।

वर्ष 1983–2010 के बीच बेहद गरीबी में जीने वालों अर्थात् गरीबी—रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के 75 फीसदी से कम के अनुपात में भी काफी कमी आई। वर्ष 1983–97 के बीच कमी की वार्षिक दर 2.6 फीसदी और 1999–2010 तक लगभग एक तिहाई रह गई। 2015 के लिए गरीबी अनुपात का लक्ष्य 23.9 फीसदी रखा गया है लेकिन अनुमान है कि यह 26.7 फीसदी के आसपास रहेगा।

वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ही ग्रामीण भारत में क्रमिक लेकिन व्यापक बदलाव आ रहा है। बाहरी दुनिया की जानकारी बढ़ने से बेहतर जीवन—स्तर की ग्रामीण आकांक्षाएं बढ़ी हैं। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के बीच के एक वर्ष के दौरान ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 5.5 फीसदी की तेज रफ्तार से बढ़ा है। (एनएसओ—2012)। क्रयशक्ति बढ़ने के परिणामस्वरूप ग्रामीण बाजार अब बचे सामान का खुदरा बाजार नहीं रह गए हैं बल्कि ग्रामीण मांग को ध्यान में रखकर विशेष रूप से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत अब अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है।

समाजशास्त्रीय कसौटी

किसी भी समाज के बदलाव को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने कुछ मानक तय कर रखे हैं। जैसे—

जनसंख्या की स्थिति; गरीबी का स्तर; आर्थिक विकास; कृषिगत विकास; भूमि सुधार; शिक्षा उपलब्धता; स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति; संपर्क के साधन (रेल, सड़क); आवासीय व्यवस्था।

उपरोक्त तमाम कसौटियों पर ही हम किसी समाज के बदलाव को समझ सकते हैं। भारत के गांवों में बदलाव को देखना है तो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व आवास की स्थिति का अवलोकन करना अति आवश्यक है।

शिक्षा व सामाजिक बदलाव

किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति में वहां की शिक्षा व्यवस्था का बहुत अहम योगदान रहा है। आजादी के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इसके लिए भारत सरकार शुरू से ही क्रियाशील रही है। वर्तमान सरकार ने 'पढ़े भारत बढ़े भारत' सूक्त वाक्य के साथ भारत में शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने की अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज का कोर्स शुरू करने की बात हो अथवा मानव विकास को समर्पित दीनदयाल उपाध्याय केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण भारत को तकनीक व उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान हो अथवा लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया गया उड़ान कार्यक्रम। बच्चों की परफारमेंस के बारे में अभिभावकों को बताने के लिए 'शाला दर्पण' कार्यक्रम की शुरूआत हो अथवा स्कूलों की वार्षिक कार्यपद्धति पर निगरानी रखने के लिए शुरू की गई 'स्कूल रिपोर्ट कार्ड' योजना। इन सभी योजनाओं ने भारतीय शिक्षा की रफ्तार को नई दिशा दे दी है। अब तो भारतीय बच्चों को ज्ञान भंडार से जोड़ने के लिए 'राष्ट्रीय ई—लाइब्रेरी' की स्थापना भी की जा चुकी है।

मिड—डे मील सामाजिक बदलाव का संकेतक

सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू किए गए मिड—डे मील कार्यक्रम का ग्रामीण भारत के सामाजिक बदलाव पर सकारात्मक असर पड़ा है। भूख और गरीबी के कारण स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे भी अब स्कूलों में जा रहे हैं। एक ओर जहां कुपोषण से उन्हें बचाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ वे शिक्षित हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट भाग—1 में बताया गया है कि मिड—डे मील के माध्यम से 10.80 करोड़ बच्चों को फायदा हुआ। देखें (तालिका—1)

कवरेज तथा व्यय का ब्लौरा

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
बच्चों की संख्या (करोड़ में)	11.36	10.46	10.54	10.68	10.80
आवंटित खाद्य सामग्री (लाख एमटीएस)	27.71	29.40	29.09	29.55	29.77
जारी बजट (करोड़ में)	7359.15	9440	10380	11937	13215
कुल खर्च (करोड़ में)	6937.79	9128.44	9901.91	10868	10927.21

पिछले दशकों में स्कूल से बाहर रहे बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू किया है। वर्ष 2006 में जहां 134.5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वहीं 2014 आते-आते इनकी संख्या घटकर आधे से भी कम 60.6 लाख रह गई है। 2006 में जहां 66.8 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर थीं वहीं 2014 में घटकर इनकी संख्या 28.9 लाख रह गई है। इसी तरह 2006 में जहां अनुसूचित जाति के 31.5



लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे वहीं 2014 में बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 19.66 लाख रह गयी है।

भारत में उच्च शिक्षा के लिए लगातार नए—नए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खुले हैं। वर्तमान में 665 विश्वविद्यालय, 35829 महाविद्यालय, 11443 शैक्षणिक संस्थान, भारतीयों को उच्चशिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। इन संस्थानों में 29 करोड़ 6 लाख 29 हजार बच्चे 2012–13 तक पढ़ रहे हैं।

स्वास्थ्य व सामाजिक बदलाव

2011 की जनगणना के हिसाब से 1 मार्च, 2011 तक भारत की जनसंख्या का आंकड़ा 1 अरब 21 करोड़ पहुंच चुका था व निरंतर इसमें बढ़ोतारी हो रही है। हालांकि शिक्षा के प्रचार—प्रसार से जनसंख्या की औसत वार्षिक घाटीय वृद्धि दर तेजी से गिर रही है। वर्ष 1981–91 में यह 2.14 फीसदी, 1991–2001 में 1.97 फीसदी थी वहीं 2001–11 में यह 1.64 फीसदी है। बावजूद इसके जनसंख्या का यह दबाव भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थित व्यवस्था करने में बड़ी मुश्किलों को पैदा कर रहा है।

तमाम समस्याओं के बावजूद पिछले दशकों में सरकारी, गैर—सरकारी स्वास्थ्य चेतना के कारण भारत में जीवन प्रत्यक्षा आयु बढ़ी है। द पीपुल ऑन हेल्थ वार्षिक रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है कि 1970–75 के दौरान भारत के लोगों की जीवन प्रत्यक्षा की औसत आयु 49.7 वर्ष थी वह 2002–06 में बढ़कर 63.5 वर्ष हो गई है। इस दौरान मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई। केरल में यह दर अच्छी सामाजिक—आर्थिक स्थिति होने के कारण 74 वर्ष है तो दूसरी तरफ बिहार, असम, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह दर 58 से 61 वर्ष है। वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यू एच. ओ. भारत: स्वास्थ्य प्रोफाइल 2012 में बताता है कि भारत में जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष है, जबकि दक्षिण—पूर्व एशिया में यह 67 वर्ष और वैश्विक जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है।

इसका मतलब यह हुआ कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। 2013 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2011 तक देश में 1 लाख 76 हजार 8 सौ 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ब्लॉक स्टर), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप—केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश में 11 हजार 4 सौ 93 सरकारी अस्पताल हैं और 27 हजार 3 सौ 39 आयुष केंद्र। देश में (आधुनिक प्रणाली के) 9 लाख 22 हजार 1 सौ 77 डॉक्टर हैं। नर्सों की संख्या 18 लाख 94 हजार 9 सौ 68 बताई गई है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी आंकड़े (देखें स्वास्थ्य ग्राफ) बताते हैं कि भारत में 10000 जनसंख्या पर औसतन 7 फीजिशियन है, वहीं दक्षिण—पूर्व एशिया में यह प्रतिशत 5.9 है। नर्सों के मामले में भी दक्षिण—पूर्व एशिया के बाकी देशों से भारत

की स्थिति ठीक है। भारत में जहां पर 10000 जनसंख्या पर औसतन 17.1 नर्स और आया हैं वहीं दक्षिण—पूर्व एशिया क्षेत्र में यह औसत 15.3 फीसदी है।


सर्ती हुई दवाइयों का असर

इतना ही नहीं नई सरकार की दवा नीति के कारण कैसर सहित तमात तरह की दवाइयों की कीमतों में भारी कमी आई है। महंगी दवाइयों का असर भारतीय गरीब पर पड़ता रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ओर सरकार जहां देश भर में जेनरिक स्टोर खोलने की तैयारी में जुटी है वहीं दूसरी तरफ महंगी दवाइयों पर अंकुश लगाने में बहुत हद तक सफल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगी दवाइयों के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 3 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नहीं उबर पाते हैं। भारत की कुल आबादी की 69 फीसदी जनता गांवों में ही रहती है, इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण भारत की लगभग 2 फीसदी जनता इसलिए गरीबी—रेखा से नहीं उबर पा रही है क्योंकि दवाइयां महंगी हैं। ऐसे में सरकार द्वारा देश के दवा बाजार पर निगरानी रखना भारतीय ग्रामीण जनजीवन के लिए सुखद संकेत है।

ग्रामीण विकास के लिए उठाए गए कदमों का सामाजिक बदलाव पर प्रभाव

भारत को गांवों का देश कहा जाता है। इसकी आत्मा गांवों में बसती है। अतः भारत का विकास तभी संभव है जब गांवों का विकास हो। गांवों के विकास के लिए सरकार समय—समय पर अनेक योजनाएं चलाती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए वर्ष 2014–15 में जहां 11437 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे वहीं 2012–13 में बढ़ाकर 52,000 करोड़ व 13–14 में 59310 करोड़ रुपये रखा गया था जिसमें 58630.15 करोड़ की राशि ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए जारी की गई थी। (ज्यादा जानकारी के लिए ग्राफ देखें) सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं का भारत के गांवों पर क्या असर पड़ा, उसका अवलोकन जरुरी है।

पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए परिव्यय





सरकार की प्रमुख योजनाएं व उसका बदलते गांव पर प्रभाव

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
- प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क परिवारों को मजदूरी के लिए उपर के स्तरों के संघों में संगठित करके लाभान्वित करना है। मार्च, 2014 तक 27 राज्यों और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एनआरएलएम स्थापित हो चुके हैं। इस योजना ने विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, अत्यधिक कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), बंधुआ मजदूरों, मैला ढोने वालों, अनैतिक मानव व्यापार पीड़ितों जैसे समाज में सर्वाधिक उपेक्षित व कमजोर समुदायों तक के लोगों को लाभ पहुंचाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2013–14 की वर्ष 2006 से लेकर अब तक 1,63,754.41 करोड़ रुपये की राशि कामगार परिवारों को मजदूरी के रूप में दी गई है। अर्थात् इतने बड़े पैमाने पर अर्थ ग्रामीणों के पास गया है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब तक 1,657.45 करोड़ श्रमदिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है। वर्ष 2008 से हर वर्ष औसतन 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2014 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी 48 फीसदी रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी इन जातियों के पास आर्थिक मदद पहुंची है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि कुल सृजित श्रम दिवस में 48 प्रतिशत की भागीदार महिलाएं रहीं हैं जिसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सशक्त बिंदु माना जा सकता है। इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 260 लाख कार्य शुरू किए गए हैं।

सामाजिक प्रभाव— ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित शोध से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मनरेगा की वजह से वर्ष 2000 से पहले कृषि मजदूरी में विद्यमान स्थिरता दूर हो चुकी है। जेन ड्रेजे द्वारा कराए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि मनरेगा से पूर्व 2000–01–2005–06) वास्तविक कृषि मजदूरी की विकास दर पुरुषों के लिए प्रति वर्ष 0.1 फीसदी और महिलाओं के लिए नकारात्मक थी। मनरेगा क्रियान्वयन के बाद (2005–06 से 2010–11) कृषि मजदूरी की विकास दर बढ़कर पुरुषों के लिए प्रति वर्ष 2.7 फीसदी और महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 3.7 फीसदी हो गई है। मनरेगा की वजह से मजदूरी में महिलाओं के प्रति पहले से होते रहे भेदभाव में कमी आई है। एनएसएसओ के 66वें दौर के अध्ययन के अनुसार मनरेगा में रोजगार के लिए औसतन

मजदूरी पुरुषों के लिए 90.9 रुपये और महिलाओं के लिए 87 रुपये थीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

आबंटन व कवरेज की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य वर्ष 2021–22 तक 8–10 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वस्थायता समूहों और गांवों तथा इससे ऊपर के स्तरों के संघों में संगठित करके लाभान्वित करना है। मार्च, 2014 तक 27 राज्यों और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एनआरएलएम स्थापित हो चुके हैं। इस योजना ने विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, अत्यधिक कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), बंधुआ मजदूरों, मैला ढोने वालों, अनैतिक मानव व्यापार पीड़ितों जैसे समाज में सर्वाधिक उपेक्षित व कमजोर समुदायों तक के लोगों को लाभ पहुंचाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि आजीविका की सहायता से लगभग 1.58 लाख युवाओं ने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं। 24.5 लाख महिला किसानों को भी सहायता प्राप्त हुई है।

कौशल विकास

कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने का कार्य किया है। आजीविका कौशल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)—आजीविका का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक दरों पर नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार दिलाना है। वर्ष—2013–14 में 5 लाख ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से मार्च, 2014 तक 2084843 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 1,39076 को रोजगार दिलाया गया।

सामाजिक प्रभाव— कौशल विकास योजना ने जहां गांवों के युवाओं में एक उत्साह का संचार किया है वहाँ आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत भी किया है। उनकी गुणवत्ता को परिष्कृत कर राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में मदद की है।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई)

संविधान में राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर अन्य सङ्कों राज्य सूची में हैं, फिर भी राज्यों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यनीति के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोर नेटवर्क में शामिल तथा सङ्क मार्गों से न जुड़े 500 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी पात्र गांवों को बारहमासी सङ्कों से जोड़ना था। पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश,



जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखण्ड), मरुभूमि क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित), जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों तथा पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा निर्धारित) में 250 तथा उससे अधिक बसावटों को सड़क से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया। अब देश में ऐसी सड़कों का 3,99,979 कि.मी. का नेटवर्क है। 31 मार्च, 2014 तक 97,838 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है। 2,48,919 कि.मी. की नए सड़कों का निर्माण किया गया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	
	बसावटों की संख्या, जिन्हें सड़कों से जोड़ा जाना है	पूरे किए जाने वाले सड़क कार्यों की लं. (कि.मी. में)	सड़कों से जोड़ी गई बसावटें
2010–11	4,000	34,090	7,584
2011–12	4,000	30,566	6,537
2012–13	4,000	30,000	6,864
2013–14	3,500	27,000	6,560
			पूरे किए गए सड़क कार्यों की लं. (कि.मी. में)
			25,316

सामाजिक प्रभाव— सरकार द्वारा कराए गए शोध से यह बात सामने आयी है कि मुख्य सड़क से जुड़े गांवों में व्यापार से जुड़ी जनसंख्या का प्रतिशत इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं इसका स्वास्थ्य सेवा उपभोग पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। जो गांव मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हैं उनकी तुलना में बारहमासी सड़क से जुड़े गांवों में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 28 फीसदी की कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य सड़क से जुड़े स्थानों में औसत मासिक परिवार की आय में प्रतिवर्ष 12 फीसदी की वृद्धि हुई है। जबकि जहां पर सड़कों से जुड़ाव नहीं है वहां पर औसत वृद्धि दर 4 फीसदी है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि गांवों तक सड़क की पहुंच ने ग्रामीण भारत को सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है।

इंदिरा गांधी आवास योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी से जूझ रही ग्रामीण जनता को रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जा सके। सभी के लिए आश्रय को उस समय और बल मिला जब भारत ने जून, 1999 में मानव बस्ती संबंधी इस्तांबुल घोषणा पर हस्ताक्षर करके यह स्वीकार किया कि सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक आश्रय तथा आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर ग्रामीण आवास उपेक्षितों के लिए किया जाने वाला प्रमुख गरीबी उपशमन उपाय है। केवल वर्ष 2013–14 में 13.73 लाख मकानों का निर्माण किया गया।

सामाजिक प्रभाव— मकान केवल आश्रय और निवास स्थान नहीं होता बल्कि यह एक ऐसी संपत्ति है, जिससे आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं और जो सामाजिक स्थिति का प्रतीक होने के साथ-साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी होता है। प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप अच्छा घर-परिवार प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से संरक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों, मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने की दशा में उसके बीपीएल परिवार को तथा मां बनने वाली महिलाओं को सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करना है। इस योजना में अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा शामिल हैं। वर्ष 2013–14 में एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9112.46 करोड़ रुपये निर्गत किए गए।

सामाजिक प्रभाव— इन योजनाओं से उन परिवारों में खुशियां लौट आई जिनके यहां आय का कोई साधन नहीं था। बुजुर्गों में जीने की प्रत्याशा बढ़ गयी। विधवाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। विकलांगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई।

वाटरशेड विकास

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की जमीनों को कृषिजनित बनाए रखने अथवा जिन जमीनों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गयी है उसे बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग वाटरशेड आधार पर तीन दीर्घकालिक वाटरशेड बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अर्थात् समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) चला रहा है इससे उत्पादन योग्य भूमि की रक्षा में सहयोग मिला है जिसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है।

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति

किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी आधी आबादी को मजबूत करना ही पड़ेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो आज भारत की महिलाओं की स्थिति बहुत सुधारी है। गांवों में लड़कियों में पढ़ने की ललक बढ़ी है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहता है। लड़के-लड़की के बीच भेदभाव बहुत हद तक कम हुए हैं। किस तरह से ग्रामीण भारत की महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और अपने स्वाभिमान के साथ काम कर रही हैं इसका उदाहरण हम वर्ष 2013–14 में मनरेगा के अंतर्गत महिला कामगारों की भागीदारी को देखकर कर सकते हैं। इस दौरान इनकी भागीदारी 53 फीसदी थी।



पंचायती राज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 13 से 14 लाख महिलाएं चुन कर आयी हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए प्रयाप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में रुचि ले रही हैं। महिलाओं की गांव के कामों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वामिमान के लिए सकारात्मक संकेतक है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी। खासतौर से लिंग के आधार पर किए जाने वाली गैर-बराबरी अब संभव नहीं रह गयी है। महिलाओं का बढ़ता कद उन्हें घर व बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न हो अथवा घरेलू हिंसा—इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आज की महिला लड़ने में सशक्त हो चुकी है।

सन् 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रि—स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तब भी यह माना गया कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्रामसभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्राम पंचायतों, और सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। वर्तमान में मध्यप्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों ने तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 फीसदी तक आरक्षित कर दिया है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में सामाजिक बदलाव

संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम (1992) में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की स्थापना इसलिए की गयी थी ताकि सभी राज्यों में समान रूप से विकास की गति को बढ़ाया जा सके। वहां की सामाजिक संरचना को सुदृढ़ किया जा सके। लेकिन इस अधिनियम के लागू करने में अंतर होने के कारण सामाजिक बदलाव की दिशा में भिन्नता पायी जाती रही है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर केन्द्र सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। परिणामस्वरूप यहां के ग्रामीण लोगों का देश के अन्य भागों से संपर्क स्थापित हुआ है। उनकी जीवनशैली में बदलाव आया है और देश की मुख्यधारा से वे जुड़ पाए हैं।

नवसंचार का योगदान

आज हम सूचना क्राति के युग में जी रहे हैं। याद कीजिए वो दौर जब पहली बार गांव के लोगों का संपर्क रेडियो से हुआ था। फिर टेलीविजन आया। टेलीविजन आने के बाद गांव के लोगों का देश—दुनिया से संपर्क स्थापित हुआ। उनकी सोच व रहन—सहन के तरीके बदले। आज प्रत्येक घर में मोबाइल पहुंच चुका है और लोग चिट्ठी न लिखकर एसएमएस व वाट्सएप करते हैं। सूचना के इस प्रवाह ने भारत के ग्रामीण जीवन को भी बदला है। उदारीकरण का जो दौर 1990 में शुरू हुआ उसका सकारात्मक—नकारात्मक असर ग्रामीण जीवन पर स्पष्ट रूप में पड़ा है। अब गांव के लोग जाति, धर्म, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार सुरक्षा व विकास की बात करने लगे हैं।

निष्कर्ष

बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को शिक्षित करने पर बहुत बल दिया था। भारत में सामाजिक बदलाव के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनका मानना था कि यदि भारत को बदलना है तो सभी को शिक्षित करना जरूरी है। खासतौर से वे देश के दलित समुदाय से हमेशा अपील करते थे कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। उनका मानना था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है। यदि आप शिक्षित हो गए तो अपने अधिकारों को खुद ही ले सकते हैं, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान भूमि के रूप में पूरे विश्व में जाना जाने वाला भारत आज आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे उसकी ग्रामीण शक्ति है। देश आगे बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे गांव आगे बढ़ रहे हैं। खैर, अब समय आ गया है कि प्रत्येक भारतवासी बदलाव के इस सुनहरे एहसास को कायम रखते हुए इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

संदर्भ

- पेज 12, वार्षिक रिपोर्ट दू. द पीपुल ऑन हेल्थ, गर्वमेंट ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिसम्बर 2011
- <http://www.who-int/gho/countries/ind-pdf/ua/1>
- स्वास्थ्य नीति की बीमारी/भारत डोगरा /जनसता /25.5.2013
- <http://www.who-int/gho/countries/ind-pdf/ua/1>
- ग्रामीण विकास संबंधी ज्यादातर आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।
- शिक्षा संबंधी आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।

(लेखक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकर्ता तथा समाचार विचार पोर्टल www.swasthbharat.in के संपादक हैं)
ई-मेल: Forhealthyindia@gmail.com

बदल रहा है समाज, बदल रहा है देश

—रवि शंकर

देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महिलाएं हों या अनुसूचित जाति व जनजाति, सभी की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आया है। समाज के सभी क्षेत्रों में उनका प्रभाव और योगदान बढ़ा है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक न्याय की चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। अभी भी काफी कुछ करना शेष है। सबसे बड़ी चुनौती कन्या भूषण हत्या की है। महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव होने और महिलाओं की भूमिका बढ़ने के बावजूद गांव तो गांव शहरों में भी कन्या भूषण हत्या के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक कन्या भूषण हत्याएं होती हैं। सरकार को भी इस समस्या का ध्यान है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है। यह नारा भी सामाजिक परिवर्तन का ही नारा है।

पिछले दिनों अखबारों में एक खबर काफी चर्चा में थी। खबर थी कि पुरुषों के बराबर महिलाओं की भी सहभागिता होने से ही देश के विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यह खबर एक प्रकार से देश में आ रहे सामाजिक बदलाव को ही परिलक्षित करती है। जिस देश में कभी महिलाओं को घर की ड्यूटी पार करने की अनुमति नहीं थी, उसी देश में महिलाएं न केवल हरेक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाढ़ रही हैं, बल्कि उनकी इस भूमिका का स्वागत भी किया जा रहा है।

आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का सपना जिन महापुरुषों ने देखा था, उनमें एक प्रमुख नाम बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि डा. भीमराव अम्बेडकर का है। यह तो सभी जानते हैं कि डा. अम्बेडकर भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और इस संविधान को तैयार करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसके अलावा डा. अम्बेडकर देश में सामाजिक परिवर्तन के बड़े हिमायती थे। वे हिंदू धर्म में आई रुद्धियों को समाप्त कर समाज के उपेक्षित वर्ग को वर्षों से खोया उसका अधिकार दिलाना चाहते थे। देश के बड़े वर्ग पर उनके विचारों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज देश में जो सामाजिक परिवर्तन दिख रहा है, उसकी पटकथा का बड़ा हिस्सा बाबा साहब का ही लिखा हुआ है। हम यदि आज से सौ वर्ष पहले की स्थिति को स्मरण करें तो ध्यान में आता है कि समाज में छुआछूत, अशिक्षा, लड़कियों के प्रति भेदभाव जैसी अनेक बुराइयां व्याप्त थीं। बाल विवाह और उसके कारण विधवाओं की समस्या, दहेज प्रथा और उसके कारण बहुओं को जलाया जाना, बंधुआ मजदूरी आदि अनेक सामाजिक रुद्धियां भी समाज का अभिशाप बनी हुई थीं। छुआछूत की समस्या कुछेक स्थानों में इतनी भयंकर थी कि स्वामी विवेकानन्द जब केरल में घूम रहे थे तो उन्होंने वहां व्याप्त छुआछूत को देखते हुए कहा था कि क्या वे पागलों के देश में आ गए हैं।

स्वाधीनता के अड़सठ वर्षों में देश काफी आगे निकल गया है। महानगरों से लेकर गांवों तक में स्थितियां काफी बदली हैं। यह ठीक है कि देश काफी बड़ा है और पूरे देश में बदलाव का कोई एक पैटर्न नहीं है। यह भी ठीक है कि एक ही प्रकार के परिवर्तन को पूरे देश में महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि देश के प्रत्येक हिस्से में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। लोगों के जीवन में और लोगों के सामाजिक जीवन में एक नई ताजगी महसूस की जा सकती है।

स्वाधीनता के बाद देश में सामाजिक नारे का मुहावरा काफी बुलंद हुआ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन उसकी इस सामाजिकता को तब बड़ी चुनौती मिलती है, जब जातिगत और आर्थिक भेदभाव के कारण एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य पर अत्याचार करता है।





समाज में फैले इस भेदभाव का एक बहुत बड़ा नुकसान उस समय नजर आता है जब समाज में इससे हमारी न्याय व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भेदभाव का शिकार समाज का एक वर्ग विकास की दौड़ से बाहर हो जाता है, न्याय से वंचित हो जाता है। ऐसे वर्गों की आवाज को मुखर करने के लिए ही सामाजिक न्याय का नारा बुलंद हुआ। हालांकि यह नारा समाज के इस उपेक्षित वर्ग का विकास करने की बजाय शीघ्र ही देश की राजनीति का शिकार हो गया, परंतु यह समाज में थोड़ी जागरूकता भी लाया।

हमारे संविधान की प्रस्तावना और अनेक प्रावधानों के द्वारा इसे सुनिश्चित करने की बात कही गई है। संविधान ने देश के हरेक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है और हरेक प्रकार के भेदभाव को दूर करने की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, संविधान ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रयास किए जाने का भी विधान कर दिया। इसका प्रभाव भी पड़ा है।

देश में एक बड़ी सामाजिक असमानता छुआछूत के रूप में दिखती थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती से लेकर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी तक ने छुआछूत दूर करने का अभियान चलाया, परंतु आज भी छुआछूत देश से पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कई खबरें ऐसी सुनने को मिल जाती हैं, जिनमें तथाकथित नीची जातियों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया या किन्हीं खास जाति के लोगों को मंदिर आने से रोका गया। ऐसी घटनाएं इक्का—दुक्का आज भी घटती रहती हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय 'प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट' (1955) के अमल के बारे में कराए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछूत जारी है।

संविधान और कानूनों के कारण छुआछूत का वह गंभीर स्वरूप नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। शहरों में भी छुआछूत की छिटपुट घटनाएं मिल जाती हैं परंतु व्यापक रूप से देखा जाए, तो आज कोई छुआछूत उस रूप में नहीं है। जातीय गुटबाजी में कोई कमी नहीं आई है परंतु जातीय छुआछूत जरूर मिटी है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आज की आरक्षण व्यवस्था ने निभाई है। आरक्षण के कारण ही बड़ी संख्या में निचले तबके के लोग सरकारी सेवाओं में जा पाए हैं, जिनके साथ सभी को मिल कर रहना ही पड़ता है। यदि किसी विद्यालय में विभिन्न जातियों के शिक्षक साथ काम करते हैं तो चाहकर भी कोई छुआछूत नहीं कर सकता। हालांकि आरक्षण के कारण जातीय विद्वेष भी बढ़ा है, परंतु इससे समाज के एक बड़े वर्ग को सम्मानजनक स्थान भी मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन महिलाओं की स्थिति में दिखाई पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पहले भी काम किया करती थीं, परंतु पैसे कमाने के बावजूद वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हुआ करती थीं। सामान्यतः उनकी आय उनके पतियों के हाथों चली जाती थी। उनके पास बचत करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। इस स्थिति को स्वयंसहायता समूहों ने बदल दिया है। देश में बड़ी संख्या में स्वयंसहायता समूहों की शुरुआत हुई है जिनके कारण महिलाओं को बड़ा सहारा मिला है। हालांकि स्वयंसहायता समूह केवल महिलाओं के लिए नहीं है। यह योजना पुरुषों के लिए भी है। परंतु बड़ी संख्या में इसकी लाभार्थी महिलाएं ही हैं। पूर्व योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार इन समूहों की 59 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं थीं, जबकि सरकार का लक्ष्य केवल 40 प्रतिशत का ही था।

स्वयंसहायता समूहों ने केवल महिलाओं ही नहीं, बल्कि समाज के पिछड़े वर्ग को भी खासा लाभ पहुंचाया है। इसके लाभार्थियों में 69 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग हैं। 21 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिला है। स्वयंसहायता समूहों के लाभार्थियों में बड़ी संख्या यानी कि 82 प्रतिशत भूमिहीन तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की है। सीधी—सी बात है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन पाए हैं। आर्थिक स्वावलंबन से व्यक्ति और समाज दोनों की ही स्थितियों में सुधार होता है। यह सुधार दृष्टिगोचर भी होने लगा है।

इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि इन स्वयंसहायता समूहों के 65 प्रतिशत से अधिक सदस्य पढ़े—लिखे हैं। इनमें सहभागी महिलाओं का भी बड़ा प्रतिशत साक्षर और शिक्षित है। इस प्रकार इन समूहों ने ग्रामीण भारत की तस्वीर को उज्ज्वल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसने पिछड़े वर्गों और महिलाओं को न केवल स्वावलंबन का अवसर दिया है, बल्कि समाज में उन्हें सम्मानित स्थान भी प्रदान किया है। आर्थिक स्वावलंबन और शिक्षा से स्वाभाविक रूप से सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आता ही है।

साक्षरता और शिक्षा ने भी ग्रामीण भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 71 प्रतिशत है। यह शहरी क्षेत्र की साक्षरता 84 प्रतिशत के काफी नजदीक है। यह आंकड़ा ही ग्रामीण भारत की तस्वीर को काफी स्पष्ट कर देता है। शिक्षा और स्वावलंबन के बाद राजनीति की बारी आती है और यहां भी देश की महिलाएं और पिछड़ा वर्ग धीरे—धीरे अपनी उपरिथिति दर्ज कराने लगा है। हालांकि राजनीति में महिलाओं को अभी तक 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिला है, परंतु पंचायतों



और निगमों जैसे स्थानीय निकायों में मिले आरक्षण का उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया है। भारत के स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के समय घूंघट में दुबकी महिला सरपंच सिर्फ नाम की सरपंच थी और इनकी जगह काम इनके पति या बेटे करते थे लेकिन अब सब बदल गया है। सदियों से चूल्हे-चौके तक सीमित रही गांव की महिलाएं अब न सिर्फ अपने गांव की तकदीर बदल रही हैं बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया में भी मनवा रही हैं।

राजस्थान की युवा सरपंच छवि राजावत और मध्य प्रदेश की वंदना बहादुर मयेडा इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी की आकर्षक नौकरी छोड़ कर सरपंच बनी राजावत ने गांव के विकास के लिए अपनी ऊर्जा लगा दी तो दूसरी ओर गांव की मिट्टी में पली-बढ़ी वंदना ने अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल गांव की पंचायत पर सिक्का जमाया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी उनकी प्रतिभा का कायल हो गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं का बढ़ता वर्चस्व देश में हो रहे सामाजिक बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1992 में संविधान के 73 एवं 74 वे संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई जगह आरक्षित की गई। संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। 24 अप्रैल, 1994 से देश भर की पंचायतों के लिए यह नियम लागू हो गया। हालांकि कुछ राज्यों ने महिला सशक्तीकरण के लिए अपने यहां 33 प्रतिशत से ज्यादा महिला आरक्षण की व्यवस्था की जैसेकि बिहार में 50 प्रतिशत, आसाम में 50 प्रतिशत, कर्नाटक में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत है।

भारत सरकार के इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज देश भर में कुल 10 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायतों में हैं और लगभग 40 प्रतिशत पंचायतों पर महिलाओं का कब्जा है। हाल ही में गुजरात सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए एक अच्छी पहल करते हुए समरस योजना चलायी है जिसके तहत प्रदेश सरकार उन पंचायतों को पांच लाख का इनाम देगी जिस गाँव के सरपंच समेत सभी प्रतिनिधि महिलाएं हो। प्रदेश सरकार की इस योजना का ही परिणाम है कि 254 गांवों ने अपने गांवों की बागडोर पूरी तरह से महिलाओं को दे दी है। इसमें बहुत-सी युवा लड़कियां भी शामिल हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। गुजरात के ही एक गाँव सिसवा में कई बार से लड़कियों को ही ग्राम प्रधान बनाया जा रहा है वो भी सर्वसम्मति से।

देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महिलाएं हों या अनुसूचित जाति व जनजाति,

सभी के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आया है। समाज के सभी क्षेत्रों में उनका प्रभाव और योगदान बढ़ा है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक न्याय की चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। अभी भी काफी कुछ करना शेष है। सबसे बड़ी चुनौती कन्या भ्रूण हत्या की है। महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव होने और महिलाओं की भूमिका बढ़ने के बावजूद गांव तो गांव शहरों में भी कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं।

सरकार को भी इस समस्या का ध्यान है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है। यह नारा भी सामाजिक परिवर्तन का ही नारा है। बेटों की पढ़ाई पर लाखों खर्च करने वाला समाज बेटियों की पढ़ाई से उदासीन रहता रहा है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। इसमें परिवर्तन आया है, पर वह काफी नहीं है। इसी प्रकार समाज की अनेक रुद्धियां तोड़ने की दिशा में भी और जागरूकता लाना अभी शेष है। उदाहरण के लिए दहेज के कारण बहुओं को जलाए जाने की घटनाएं आज काफी घटी हैं लेकिन दहेज की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। केवल कानूनों से ऐसी समस्याएं समाप्त हो भी नहीं सकतीं। इसके लिए समाज में जागरूकता लाया जाना अधिक आवश्यक है।

ऐसे में सरकार के साथ-साथ सामाजिक पहलों की भी बड़ी आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्थाओं को निरस्त करने की बजाय यदि उन्हें शिक्षित, सभ्य और जागरूक बनाया जाए तो वे सामाजिक परिवर्तन का बड़ा वाहक बन सकती हैं। जैसे खाप पंचायतों की आज काफी आलोचना की जाती है कि वे कट्टरता और मध्ययुगीन कानूनों को बढ़ावा दे रही हैं। परंतु यदि उन्हें खाप पंचायतों को सकारात्मक दिशा दी जाए तो समाज पर उनके प्रभाव का सदुपयोग किया जा सकता है। यदि खाप पंचायतों कन्या भ्रूण हत्या और छुआछूत को गलत घोषित कर दें तो एक झटके से ये कुरीतियां दूर हो सकती हैं। ऐसा हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कुछ एक खाप पंचायतों ने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जिसमें कन्या के जन्म पर वृक्षारोपण करने और उस दंपत्ति को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। कानून तो अपना काम करेगे, परंतु कानूनों से अधिक आवश्यकता समाज के ऐसे प्रयासों की है। इन प्रयासों को बढ़ाए जाने से ही देश में सही अर्थों में सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

(लेखक सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज में शोध निदेशक, गांधी दर्शन के शोधार्थी और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।) ई-मेल : rauroy@gmail.com

अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

—डॉ. ऋषु सारस्वत

“डॉ. अम्बेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति मानते थे। वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते और सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते। कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की हो जाती है, इस पर उनका विश्वास नहीं था। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में ‘नैतिकता’ और ‘सामाजिकता’ ये दो प्रमुख मूल्य रहे हैं।”

“दलित वर्ग के चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अत्यन्त कठोर परिश्रम करूँगा। इसी कार्य के लिए मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है.... अस्पृश्यों के समक्ष विकट चुनौतियां हैं। मैं जागरूक हूं कि मैं उनकी समस्त समस्याओं का हल सम्भवतया नहीं कर सकूं किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं इन चुनौतियों को संसार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं... यदि मैं (चुनौती रूपी) इन हिमालयों को भू-शायी न कर सका, (करोड़ों) अस्पृश्य मेरे रक्तरंजित सिर को देखकर हिमालय को नत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए प्रवृत्त होंगे....” डॉ. अम्बेडकर ने अपनी शपथ को आत्मसात किया और अपना सर्वस्व जीवन दलितोत्थान के लिए समर्पित कर दिया परन्तु क्या उन्हें सिर्फ इस परिधि में बांधकर याद रखना उनके उन सभी विचारों और कार्यों की अवहेलना नहीं, जिससे भारत की सामाजिक एवं राजनैतिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन आया। किसी भी महापुरुष के विचारों की सबसे बड़ी शोकांतिका यही होती है कि उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करने के बजाय जब युवा पीढ़ी उन्हें पूजने मात्र लग जाती है।

डॉ. अम्बेडकर के जीवन मंथन से यह स्पष्ट होता है कि उनके विचार किताबों में बंद हो निष्पाण होने के लिए नहीं हैं, वह गतिमान हैं, और आज भी वही प्रासंगिकता रखते हैं, जो अपने निर्माणकाल में रखते थे। यह सर्व स्वीकार सत्य है कि उनका सर्वप्रथम उद्देश्य मनुष्य और मनुष्य के बीच विभेद की हर रेखा को समाप्त करना था। परम्परा द्वारा मनुष्य द्वारा अस्वीकार किए गए एक समूह को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किए और धर्म और परम्परा का जो शोधीय आधार प्रस्तुत किया, वह विशिष्ट है। परन्तु समानता के इस संघर्ष मात्र में ही उन्होंने अपने जीवन की ऊर्जा को नहीं लगाया अपितु उनका संघर्ष संपूर्ण व्यवस्था को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा करना था जहां व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर सब कुछ प्राप्त हो जो उसका मानव होने के नाते अधिकार है। वे जनतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे। यह सत्य है कि उनके राजनीतिक विचार किसी स्वतंत्र पुस्तक का आकार ग्रहण नहीं कर सके परन्तु ‘रानाडे, गांधी और जिन्ना’, ‘फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम’, ‘स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटीज़’, ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’,





आदि प्रकाशित ग्रन्थ, भारतीय संविधान सभा तथा उनके द्वारा स्थापित स्वतंत्र मजदूर पार्टी रिपब्लिकन आदि के घोषणापत्र – उनकी राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य, सत्ता, धर्म, पूँजीवाद, आदि द्वारा स्त्री और पुरुष का शोध समाप्त हो जाए। उनका राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों से, परस्पर अनुभव और अहसास के साथ जुड़ा हुआ है। वे कहते थे, “जनतंत्र सार्वजनिक जीवन जीने की पद्धति है। जनतंत्र की जड़ें व्यक्तित्व के सामाजिक संबंधों में खोजनी पड़ती है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बिना रक्त की एक बूँद बहाए क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं।”

“डॉ. अम्बेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति मानते थे। वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते और सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते। कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की हो जाती है, इस पर उनका विश्वास नहीं था। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में ‘नैतिकता’ और ‘सामाजिकता’ ये दो प्रमुख मूल्य रहे हैं। जीवंत मनुष्यों को नियन्त्रित करने के लिए उन्हें इकट्ठे जीवन के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों की निमित्ति के लिए साझेदारी आवश्यक है, ऐसा वे मानते थे। उनकी जनतंत्र की कल्पना स्थितिवादी अथवा जड़वादी न होकर गतिशील तथा समाज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ऐसी कल्पना है।”

उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। वे कहते थे कि ‘सामाजिक चेतना’ के अभाव में जनतंत्र आत्माविहीन मृत देह के समान है और जब तक ‘सामाजिक जनतंत्र’ नहीं स्थापित होगा तब तक ‘सामाजिक चेतना’ का विकास भी संभव नहीं।

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि प्रत्येक को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी है और अगर समाज इस दायित्व का निर्वाहन नहीं कर सकता तो उसे बदल देना चाहिए। वे कहते थे समाज परिवर्तन की प्रक्रिया सहज नहीं है, इसमें कई स्तरों और कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन त्रिस्तरीय है और इन तीन स्तरों पर सतत क्रियाशीलता ही परिवर्तन की गति को तय करती है। प्रथम स्तर बौद्धिक क्षेत्र का है। शास्त्रों की स्वार्थहित व्याख्या, मनुष्य और मनुष्य के मध्य विभेद का कारण रही है, इसलिए उनकी अवैज्ञानिकता को तर्क और प्रमाणों के आधार पर ही सिद्ध किया



जा सकता है। और यह कार्य बिना अध्ययन और परिश्रम के संभव नहीं है। बौद्धिकता के बल पर ही नकारात्मकता के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। दूसरे स्तर पर उपेक्षित वर्गों के हितार्थ लड़ने के लिए एक मंच या संगठन की आवश्यकता है। ऐसे संगठन के अभाव में परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तीसरे स्तर की लड़ाई के लिए मैदान में उत्तरना पड़ता है। संगठित शक्ति का दबाव व्यवस्था पर प्रहार करता है जिससे परिवर्तन अवश्यंभावी है। डॉ. अम्बेडकर पत्रकारिता के महत्व को स्वीकारते हुए उसे सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण शस्त्र मानते थे। उनका यह भी विश्वास था कि विधानसभा या संसद में प्रतिनिधि बनकर परिवर्तन के अनुकूल वातावरण बनाना, और संविधान और कानून के जरिए परिवर्तन लाना भी संभव है, बशर्ते उस जगह पहुँचने



के सभी को समान अवसर प्राप्त हों और जो सदियों से निम्नस्तरीय जीवन जीने के लिए विवश हैं, उन्हें आरक्षण देकर आगे लाया जाए।

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि प्रजातंत्र का सर्वप्रथम दायित्व जनता के सर्वहितों की सुरक्षा है, वे कहते थे, “हमें अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए।.... सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में देखती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की त्रयी को अलग-अलग इकाइयों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।”

डॉ. अम्बेडकर की कल्पना में एक ऐसे राज्य (देश) का निर्माण था जो दलितों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करे, केवल दलित ही नहीं सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडम्बर से दूर ले जाती है। ‘शिक्षा ग्रहण करो’ यह उनका आदेश था। परन्तु उनकी चिंता ग्रामीण अंचलों की थी जहां मूल सुविधाओं के अभाव में शिक्षा संभव नहीं थी।

बीते दशकों में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठ कर आया है। विशेषकर जब स्त्रियों के अधिकारों की बात उठती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया। 23 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था—

“... मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम ने पूछा है कि क्या भारत जैसे विशाल देश के लिए एक समान नागरिक संहिता का होना संभव और वांछनीय होगा? अब मुझे स्वीकार करना होगा कि इस सीधी—सी बात के कारण मुझे घोर आश्चर्य है कि इस देश में मानवीय सम्बन्धों के लगभग हर पक्ष को अपनी सीमा में लिए हुए पहले ही एक समान विधि संहिता है। हमारे पास एक पूरी अपराध संहिता है जो पूरे देश में चलन में है और जो दण्डसंहिता और क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में समाहित है। हमारे पास सम्पत्ति हस्तांतरण कानून है जो संपत्ति से जुड़े संबंधों का नियमन करता है और जो पूरे देश में चलन में है।... मैं ऐसे असंख्य कानूनों का हवाला दे सकता हूँ जो यह साबित करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक रूप में एक समान नागरिक संहिता है जिसकी अंतर्वस्तु समान है और जो पूरे देश में लागू है। केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर दीवानी कानून अब तक अपनी पकड़ नहीं बना पाया है और वह है विवाह और उत्तराधिकार...”

डॉ. अम्बेडकर का यह वक्तव्य स्पष्ट इंगित करता है कि समानता का अधिकार धर्म, जाति से ऊपर होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम सभी अपने

अधिकारों के संरक्षण के लिए न केवल जागरूक हों, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी हों, किंचित् इस सत्य को न भुलाते हुए कि इन अधिकारों के साथ हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हो। डॉ. अम्बेडकर को इस सत्यता का आभास था कि हम स्वाधीनता को ‘स्वच्छंदता’ में परिवर्तन न कर दे। इसलिए उन्होंने कहा था “निस्संदेह स्वतंत्रता हर्ष का विषय है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी स्वतंत्रता ने हम पर भारी जिम्मेदारियां भी डाली हैं। स्वतंत्रता के साथ ही हमने हर गलत चीज के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है।”

दलितोत्थान, समानता, शिक्षा, स्त्री अधिकार आज अपने दृढ़ धरातल के लिए संघर्ष कर रहे हैं ऐसे में डॉ. अम्बेडकर के विचारों की स्वीकार्यता उसे जीवंतता देगी।

वे कहते थे कि शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएं बाधक न बन सकें इसके लिए संविधान व नीति निर्देशक तत्त्वों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन भी इसी का परिणाम है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करना होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो बौद्धिक विकास के साथ—साथ चरित्र निर्माण में योग देती है। चरित्र निर्माण के संबंध में उनका मत था कि विद्या, प्रज्ञा, शील, करुणा व मित्रता इन तत्त्वों का समावेश होने से श्रेष्ठ चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण का दायित्व शिक्षक का है। श्रेष्ठ अध्यापक ही अध्ययन—अध्यापन के साथ अपनी इस भूमिका का निर्वाह कर सकता है। शिक्षकों के संबंध में वे कहते थे, “अध्ययन और अध्यापन के साथ—साथ अनुसंधान भी इतना ही प्रासंगिक है। विद्वान होने के साथ—साथ विषय को रोचक बनाने की कला और उत्साह भी शिक्षक में होना चाहिए। इनमें कुछ गुण तो अपने आप में होंगे, कुछ अध्ययन व अनुभवों द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

- अम्बेडकर : तत्त्वज्ञान प्रचिति आणि आविष्कार; ताराचंद खाण्डेकर
- डॉ. अम्बेडकर : ए क्रिटिकल स्टडी; व्ही.एन.कुबेर
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉ. सूर्य नारायण रणसुभे, राधाकृष्ण 1992
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर; धनंजय कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, 1984
- अम्बेडकर तत्त्वज्ञान; प्रचीती अर्पण आविष्कार; ताराचंद खाण्डेकर, प्रज्ञा प्रकाशन, नागपुर, 1981
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर : चरित्र व कार्य; न. न. जोशी, गजेन्द्र रघुवंशी, पुणे 1989

(लेखिका 17 वर्षों से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में समाजशास्त्र में अध्यापन कार्य कर रही है। इनके निर्देशन में कई शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा चुकी है।)

ई-मेल : saraswatritu@yahoo.co.in

शिक्षा से आया ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव

—पार्थिव कुमार

शिक्षित मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से कर सकने में सक्षम होते हैं। इस लिहाजे से शिक्षा के प्रसार से देश में लोकतंत्र को मजबूती मिली है। पंचायती राज कानून ने ग्रामीणों को अपने फैसले खुद करने का अवसर मुहैया कराया है। कई राज्यों में ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ग्रामीणों और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के विकास से पंचायती राज संस्था को बल मिला है। इससे ग्राम पंचायतें अपने आर्थिक और अन्य सामुदायिक फैसले ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से करने में सक्षम बनी हैं।

दक्षिण अफ्रीका में लगभग 100 साल के रंगभेदी शासन के दौरान देश की अश्वेत आबादी को शिक्षा के समान अधिकार से वंचित रखा गया। मगर भारत में तो समाज के निचले तबकों तक शिक्षा की रोशनी को सदियों तक नहीं पहुंचने दिया गया ताकि वे अज्ञान के अंधेरे में रहें तथा उन पर हुक्म चलाना आसान हो। औपनिवेशिक शासन के दौरान भी खासतौर से दलितों और महिलाओं में शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लिहाजे देश आजाद होने के बाद हमारे नेताओं के सामने विशाल निरक्षर आबादी को शिक्षित कर उसके आर्थिक और सामाजिक विकास की बड़ी चुनौती थी। तब से अब तक साक्षरता और शिक्षा के प्रसार की विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की बदौलत स्थिति में काफी बदलाव आया है।

शिक्षा को विकास के स्तर को मापने का एक प्रमुख पैमाना माना गया है। यह जागरुकता लाने के अलावा मानव संसाधन को भी विकसित करती है। देश में गांवों और शहरों के बीच के फर्क को देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है।

पिछले कुछ बरसों में देश के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता का स्तर तेजी से ऊपर उठा है। इसके परिणामस्वरूप गांवों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात में बदलाव भी साफ दिखाई देने लगे हैं। शिक्षा के प्रसार ने खेती और पारंपरिक धंधों पर गांववासियों की निर्भरता को घटाया है। उनमें नई तकनीक और प्रौद्योगिकी में दिलचस्पी बढ़ी है। शिक्षा के स्तर में बेहतरी की बदौलत ही गांवों के निवासी पिछले कुछ अरसे में आई सूचना क्रांति का लाभ उठा पाने में कामयाब रहे हैं। शहरों की तरह ही

गांवों की भी नई पीढ़ी कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए देश और दुनिया के विकास, राजनीति, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास कर रही है।

गांवों के जनजीवन को शिक्षा से एक नई रोशनी मिली है। खेती पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता गांवों में गरीबी का मुख्य कारण रही है। हमारे देश की 52 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। मगर इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद





में हिस्सा सिर्फ 17.2 प्रतिशत है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि बड़ी संख्या में आबादी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों से निर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर जाए। शिक्षा के प्रसार से इसके लिए जरूरी जमीन तैयार हो रही है। इसके अलावा पढ़े-लिखे ग्रामीण खेती के नए और वैज्ञानिक तौर-तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कृषि की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के शहरों में जाकर काम करने तथा पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी एवं कुटीर तथा घरेलू उद्योगों को अपनाने की वजह से खेती पर आबादी का दबाव कम हुआ है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों से देश में शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार आया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता 74.04 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। अब देश में 82.14 प्रतिशत पुरुष और 65.46 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। 2001 और 2011 के बीच साक्षरता वृद्धि पुरुषों में 9 प्रतिशत, महिलाओं में 22 प्रतिशत और कुल 14 प्रतिशत रही है।

शहरों में 89.67 प्रतिशत पुरुष और 79 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। गांवों में भी 78.57 प्रतिशत पुरुष और 58.75 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं। शहरों के 5 प्रतिशत की तुलना में गांवों में साक्षरता वृद्धि दर 14 प्रतिशत रही है। दलितों में साक्षरता 66.10 प्रतिशत है। इस समुदाय में 75.20 प्रतिशत पुरुष और 56.50 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से देश के तीन सबसे विकसित राज्य-केरल (93.91 प्रतिशत), लक्ष्मीप (92.28 प्रतिशत) तथा मिजोरम (91.58 प्रतिशत) हैं। इस मामले में सबसे खराब स्थिति बिहार (63.82 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (66.95 प्रतिशत) और राजस्थान (67.06 प्रतिशत) की है।

आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं और शहरों के बनिस्पत गांवों के साक्षरता वृद्धि दर तेज रही है। फिर भी पुरुषों और महिलाओं, शहरों और गांवों तथा सर्वणों और दलितों के बीच साक्षरता का फर्क अब भी बना हुआ है। इस फर्क को मिटाकर शिक्षा के क्षेत्र में सभी समुदायों के बीच बराबरी लाना सरकार के सामने अब भी बड़ी चुनौती है।

शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं को पुरुषों, वंचित तबकों को सर्वणों और ग्रामीणों को शहरियों से बराबरी करने का हौसला, आत्मविश्वास और अवसर दिया है। इस तरह यह लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव को मिटा कर समाज में समानता लाने में बेहद मददगार साबित हुआ है। इसने खासतौर से महिलाओं को घर की दीवारों के बंधन से आजाद कर परिवार, समाज और देश के विकास में पुरुषों के

अनेक शिक्षाविद् और अर्थशास्त्री शिक्षा के व्यावसायीकरण को इसके विकास में एक बड़ी बाधा मानते हैं। उनके अनुसार खासतौर से प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा में निजी क्षेत्र का बढ़ता दखल समाज के सभी तबकों में इसके समान प्रसार को अवरुद्ध कर सकता है। डा. अंबेडकर ने भी कहा था, ‘‘शिक्षा सबकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। इसे हर मुमकिन तरीके से और यथासंभव सस्ता बनाया जाना चाहिए।’’

साथ कंधे-से-कंधा मिला कर काम करने का अवसर मुहैया कराया है।

तकनीकी प्रगति और कंप्यूटर क्रांति ने उद्योगों में शिक्षित और दक्ष कार्यबल की जरूरत को बढ़ा दिया है। शिक्षा के प्रसार ने नए जमाने की इस मांग को पूरा करना संभव बनाया जिससे देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है।

हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए भारत के पारंपरिक शिक्षा तंत्र को तहस-नहस कर डाला था। इसकी जगह उसने जिस शिक्षा प्रणाली की बुनियाद रखी उसका मकसद अपने लिए वफादार मुलाजिम तैयार करना था। इस शिक्षा प्रणाली में ग्रामीणों, महिलाओं, दलितों और समाज के अन्य कमज़ोर तबकों के लिए कोई जगह नहीं थी। ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने इस स्थिति के प्रति अपना गहरा असंतोष जाहिर किया।

महात्मा फुले ने 1856 में उद्घोष किया कि विद्या पाने का अधिकार सबको है। उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में कहा, “विद्या के बिना समझदारी नहीं आती। समझदारी के बिना नैतिकता नहीं आती। नैतिकता के बिना विकास नहीं आता। विकास के बिना धन नहीं आता। और निर्धनता ने ही इन लोगों को बरबाद कर दिया है।”

डॉ. अंबेडकर ने कहा, “शिक्षा वह महानतम लाभ है जिसके लिए पिछड़े तबकों को लड़ा चाहिए। हम भौतिक लाभों को भले ही ठुकरा दें मगर शिक्षा के फायदों को हासिल करने के अधिकार और मौकों को नहीं छोड़ सकते। पिछड़े तबके समझते हैं कि शिक्षा के बिना उनका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है।”

बाबा साहब मानसिक पराधीनता को राजनीतिक गुलामी से भी अधिक घातक मानते थे। उनके विचार से पिछड़े समाज की समस्या सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की नहीं है। उसकी समस्या सामाजिक परिस्थितियों के कारण मन में पैठ गई हीन भावना भी है। इस हीन भावना की वजह से उसका विकास



गांवों में ज्ञान की लौ जगाते कुछ होनहार

शि

क्षा न केवल हमारे नैतिक विकास में मददगार होती है बल्कि हमारी भौतिक व आर्थिक प्रगति के लिए भी ज़रूरी है। गांवों में अनेक लोग ज्ञान की लौ जगाने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें युवा तथा अनुभवी बुजर्ग लोगों ने गांवों में रहने वाले निर्धन, वंचित और उपेक्षित परिवारों के बच्चों को शिक्षा का उपहार देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का अनुकरणीय काम किया है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी कहावत के अनुरूप उत्तरप्रदेश में गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर भोरापार गांव में एक विशाल पुस्तकालय बन गया है जहां रखी 11,000 किताबें आसपास के गांवों के उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं जिनके मां-बाप महंगी पाठ्य पुस्तकों खरीदने की हालत में नहीं हैं। दो कमरों में चलने वाला यह पुस्तकालय असल में गांव के ही एक व्यक्ति श्यामलाल शुक्ल के 50 साल पहले देखे सपने का साकार रूप है। श्यामलाल जब 1962 में इंटर में पढ़ रहे थे तो उनके पास पाठ्य पुस्तकों खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और ऐसा कोई स्रोत नहीं था, जहां से वे किताबें ले सकते। श्यामलाल शुक्ल ने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया ताकि भविष्य में किताबों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए। श्यामलाल ने अपने कुछ साथियों से अपने इस इरादे के बारे में चर्चा की तो वे सभी, जो बाद में खुद भी अध्यापक बने, इस सपने को साकार करने को तैयार हो गए। इस तरह 50–60 पुस्तकों से 1964 में लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। बहुत दिनों तक पुस्तकालय किराए के मात्रान में चलता रहा लेकिन बाद में ग्राम पंचायत ने कुछ ज़मीन आवंटित की जिस पर दो कमरों की इमारत बन गई। इस समय सैंकड़ों छात्र-छात्राएं लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं।

बेगम अशरफ पुणे के सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। वह मुस्लिम परिवारों में लड़कियों को शिक्षा देने में कोताही देखकर दुखी रहती थीं और इस हालात को बदलने के लिए कुछ करना चाहती थीं। किंतु नौकरी और बाल-बच्चों की ज़िम्मेदारी के कारण कुछ नहीं कर पाती थीं। इसी बीच उनकी मां की मृत्यु हुई और उनके मन में मां की याद में कुछ सेवाकर्म करने की इच्छा जागी। इसके लिए उन्होंने पुणे के पास के गांव सर्झनगर में, जहां ज्यादातर गरीब मज़ादूर रहते थे, सिलाई केंद्र खोला। नौकरी से रिटायर होने के बाद वे सारा समय शिक्षा प्रसार में लगाने लगीं। उनके काम से खुश होकर गांव के एक भले आदमी ने उन्हें 3000 वर्गफुट का प्लॉट दान में दे दिया। बेगम अशरफ ने मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्थान का गठन किया और 1990 में गांव में प्राइमरी स्कूल खोला। इसके बाद उन्होंने उच्च विद्यालय खोला। उनके तीन स्कूल चल रहे हैं जिनमें 1200 से अधिक लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बेगम अशरफ के उत्साह और उनके शिक्षा केन्द्रों में अच्छे परिणामों को देखते हुए कुछ संगठनों और एक निजी बैंक ने मिलकर 5400 वर्ग फुट क्षेत्र में एक शिक्षा परिसर के निर्माण में मदद की। 1993 में उन्होंने लड़कियों के लिए छात्रावास भी बनाया जिसमें आसपास के गांवों से आकर लड़कियां अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। उन्होंने लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए आई टी आई भी खोला है।

उधर राजस्थान में एक विकलांग व्यक्ति धन्नाराम पुरोहित ने मूक-बधिर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में अनूठी पहल की। धन्नाराम ने जालौर ज़िले में आसपास के गांवों के गूंगे बच्चों के लिए महावीर मूक-बधिर विद्यालय खोला है जहां बच्चों के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था है। इस स्कूल में बच्चों के रहने, खाने-पीने तथा शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था है।

विशेष वर्गों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर देने में शिक्षकों की तरह सवेदनशील शिक्षा अधिकारी भी उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। तमिलनाडु में पिछले दिनों मदुरै ज़िले के मेलूर गांव के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक विचित्र समस्या पैदा हो गई जब स्कूल की मुख्याध्यापिका वी. वी. निर्मला ने गांव की उन दो लड़कियों को 11वीं कक्षा में दाखिला देने से इंकार कर दिया जिनकी शादी हो गई थी। मुख्याध्यापिका का तर्क था कि बाल-विवाह करने वाली इन लड़कियों के स्कूल में आने से अन्य लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन दोनों लड़कियाँ और उनके मां-बाप तथा ससुराल वाले पढ़ाई जारी रखने में हक में थे। इस विवाद की जानकारी जब मदुरै के मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी एस.नागराजा मुरलगन को मिली तो उन्होंने स्कूल में जाकर मुख्याध्यापिका को समझाया कि बाल विवाह अवश्य गैर-कानूनी है लेकिन उसके कारण इन बच्चियों को दोहरी मार क्यों पड़े? एक तो मां-बाप ने उनकी शादी छोटी उम्र में कर दी और दूसरी ओर वे पढ़ भी नहीं पाएंगी तो उनका जीवन और भी बदतर हो जाएगा। नागराजा मुरलगन ने कहा कि बाल-विवाह की समस्या से निपटने के प्रयास होने चाहिए लेकिन गांव की लड़कियों की शिक्षा में इससे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उनके प्रयास से नवविवाहित लड़कियों को फिर से स्कूल में दाखिल कर लिया गया।

गुजरात के ही एक स्कूल की अध्यापिका मनुबेन नहारसी परमार ने नेतराम गांव में अपने सरकारी प्राइमरी स्कूल में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देने का अभिनव प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों की मदद से स्कूल में आयुर्वेद उद्यान बनाया है जिसमें लगभग 30 प्रजातियों के 100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वृक्षारोपण में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उन्होंने हर पेड़ का नाम किसी एक बच्चे के नाम पर रखा है। इससे बच्चे पेड़ों की देखभाल के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। मनुबेन ने स्कूल के प्रांगण में कई तरह की सज्जियां भी उगाई हैं, जिनका इस्तेमाल मिड डे मील तैयार करने के लिए किया जाता है। स्कूल के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ जाने से स्कूल छोड़ने के अनुपात में काफी गिरावट आई है। मनुबेन के प्रयास की सफलता से प्रेरित होकर आसपास के गांवों के स्कूलों में भी कुछ अध्यापक पेड़-पौधे लगाकर स्कूलों का पर्यावरण बेहतर बनाने लगे हैं।



अवरुद्ध हो गया है। उच्च शिक्षा का प्रसार किए बिना उसे इस हीन भावना से उबारा नहीं जा सकता।

बाबा साहब का अटूट विश्वास था कि शिक्षा ही मनुष्य और समाज के जीवन में बदलाव ला सकती है। वह लड़कों और लड़कियों की शिक्षा पर बराबर जोर देते थे। उनके अनुसार आत्मसम्मान की अनुभूति शिक्षा से ही जागती है। इसलिए लड़कों के साथ—साथ लड़कियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए।

पिछड़े तबकों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए डा. अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके चार साल बाद उन्होंने भारतीय समाज शिक्षा प्रसार समिति बनाई। उन्होंने 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी और 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित किया जिससे शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का पता चलता है।

औपनिवेशिक शासन से आजादी के समय देश में शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उस समय देश में साक्षरता दर सिर्फ 18.32 प्रतिशत थी। कुल 27.15 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में सिर्फ 8.86 प्रतिशत महिलाएं पढ़—लिख सकती थीं। शहरों में 45.6 प्रतिशत पुरुष और 22.33 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं। लेकिन गांवों में हालत बेहद निराशाजनक थी जहां महज 19.02 प्रतिशत पुरुष और 4.87 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं।

देश आजाद होने के बाद हमारे नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के औजार के तौर पर शिक्षा की अहमियत को समझा। उन्होंने महसूस किया कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवाम का शिक्षित तथा ज्ञान और दक्षता से लैस होना महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रसार के जरिए ही समानता और न्याय पर आधारित समाज बनाया जा सकता है। शिक्षा से सिर्फ आर्थिक बेहतरी ही नहीं आती बल्कि यह नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार कर लोकतंत्र को भी मजबूत करती है। यह सामाजिक एकता और राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करने वाले मूल्यों को बढ़ावा देकर देश की अखंडता की हिफाजत में मददगार साबित होती है।

आजादी के बाद के तीन दशकों तक शिक्षा राज्यों की



जिम्मेदारी थी। लेकिन बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों और तबकों को एक समान शिक्षा मुहैया कराना कठिन था और इसके लिए काफी धन और विशेषज्ञता की दरकार थी। इन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से ही जुटाया जा सकता था। लिहाजा 1976 में एक संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। इससे शिक्षा के प्रसार में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन इसके राष्ट्रीय और समेकित स्वरूप को मजबूत करने, सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता और स्तर को बरकरार रखने तथा देश में इसकी जरूरतों के अध्ययन और निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के पास आ गई।

मौजूदा केन्द्र सरकार देश में शिक्षा के प्रसार और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कृतसंकल्प है। वह उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान दे रही है ताकि युवाओं में नौकरी पाने के लिए जरूरी दक्षता बढ़ाई जा सके। उसने हर बच्चे को 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए 80 हजार सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है और 75 हजार नए स्कूल खोले जाने हैं।

आने वाले समय में देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की शाखाएं और उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र खोले जाने की योजना है। सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास योजना शुरू कर अलग—अलग मंत्रालयों के तहत चलने वाली इस तरह की योजनाओं को इसमें शामिल किया है। गांवों के युवाओं में रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना शुरू की गई है। सरकार चाहती है कि किसी भी युवा को धन के अभाव में उच्च



शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े। वजीफों और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले कर्ज के प्रबंधन और निगरानी के लिए पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण गठित करने पर विचार किया जा रहा है।

देश में शिक्षा के प्रसार के लिए चलाए जा रहे केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों में सर्व शिक्षा अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यों के सहयोग से 2001 से चलाए जा रहे इस अभियान की पहुंच 11 लाख बसाहटों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चों तक है। शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों को इस अभियान के जरिए ही लागू किया जा रहा है। इस अभियान के परिणामस्वरूप अब 6 से 14 साल उम्र के सिर्फ 3–4 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस कार्यक्रम में लड़कियों तथा दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े तबकों, अल्पसंख्यकों और शहरी वंचित बच्चों पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार ने दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े तबके और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले हैं। ये आवासीय विद्यालय कम बसाहट वाले उन क्षेत्रों में खोले गए हैं जहां स्कूल दूर और उस तक पहुंचना असुरक्षित होने के कारण लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। इस समय देश भर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या 3600 से अधिक है।

शैक्षिक तौर पर पिछड़े प्रखंडों में लड़कियों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को लड़कियों की समस्याओं को समझने और

उन्हें स्कूल आना छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्राइमरी स्तर के बच्चों को स्कूलों तक लाने, उन्हें पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उनकी पोषण की जरूरतों को पूरा करने में दोपहर भोजन योजना बहुत ही कामयाब साबित हुई है। मौजूदा समय में 10 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा सेकेंडरी स्तर पर तालीम की गुणवत्ता बढ़ाने और 2017 तक इस उम्र वर्ग के सभी बच्चों को इससे जोड़ने के मकसद से 2009–10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है।

सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें नई रोशनी, सीखो और कमाओ, पढ़ो परदेश और मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना प्रमुख हैं। शिक्षित मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से कर सकने में सक्षम होते हैं। इस लिहाज से शिक्षा के प्रसार से देश में लोकतंत्र को मजबूती मिली है। पंचायती राज कानून ने ग्रामीणों को अपने फैसले खुद करने का अवसर मुहैया कराया है। शत-प्रतिशत साक्षरता का सपना साकार करने के लिए शिक्षा पर योजना खर्च में काफी इजाफा करने की जरूरत है। हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 3.3 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं जो 4.9 प्रतिशत के विश्व औसत से काफी कम है। नार्वे जैसे देश में तो सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है।

(लेखक यूनीवर्टा में कार्यरत हैं। पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा जानी-मानी पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं।)
ई-मेल : kr.parthiv@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप “कुरुक्षेत्र” पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की बयार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, आप हमें लेख ई-मेल भी कर सकते हैं।

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

भीमराव अम्बेडकर का ग्रामीण

दृष्टिकोण

—डॉ. श्रीनाथ सहाय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की गहन दृष्टि ग्राम्य जीवन की समस्याओं पर अटूट थी। इनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही बीता, और ये स्वयं यहां की दीन-दशा के मात्र दृष्टा ही नहीं, अपितु भुक्तभोगी थे। हम निसंदेह कह सकते हैं कि अम्बेडकर जीवनपर्यंत गरीब-वंचित-हित पर्याय रहे।

ग्रामीण सरकार : गांधीजी का दर्शन, उनकी संकल्पना तो स्वशासित ग्राम की थी – गांवों को अपने ही स्तर पर स्वयं, स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार प्राप्त हो। सरकार के अधिकार सीमित हों, और गांव, पारम्परिक रूप से, 'सरपंच' तथा 'पंचों' द्वारा प्रशासित हों।

किन्तु डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित हित के प्रति चिंतित, प्रबल सचेत, महात्मा गांधी के इस विचार से असहमत थे। इनका



मत था कि गांव तो जाति की जटिलता से ग्रस्त हैं। यहां पूर्वाग्रह हैं। ऐसी दशा में, गांव के हाथों में स्वतंत्र रूप से शासन का अधिकार देने से किसी मानवीय अधिकार की रक्षा नहीं होगी। जब बॉम्बे की विधान परिषद में पंचायत बिल द्वारा ग्रामीण पंचायतों के अधिकार में बढ़ोतरी पर बहस चल रही थी तो अम्बेडकर ने जोरदार शब्दों में तर्क दिया कि एक जनसंख्या तो जाति-प्रथा से ग्रसित है, प्राचीन पूर्वाग्रहों से बंधी है; पद-प्रतिष्ठा(स्टेट्स) की समानता के प्रति उदासीन है, और जीवन में श्रेणी-बोध से नियंत्रित है; कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ निम्न। क्या इनसे सही भाव-विचार की आशा की जा सकती है कि ये मामूली न्याय को भी अंजाम दे सकेंगे ? महोदय, मैं ऐसे प्रस्ताव को नकारता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर अपने अधिकार, मर्यादा के प्रति पूर्णतया सजग, जागरूक थे और इस सम्बन्ध में ऐसा कोई विचार इन्हें स्वीकार्य नहीं था, जो इनके हित में न हो। असमानता इनके चिंतन की केंद्रबिंदु थी।

ग्रामीण परिदृश्य : गांवों की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है; जहां मानसून कम होता, वर्षा की कमी होती और सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते। वहां खेती का संकट होता है। सूखा पड़ने की आशंका से समस्त किसान परिवार ही 'सूख' जाता। उत्पादन कम होता और जो होता भी, उसका पूरा दाम किसान को नहीं मिलता।

भूमिहीन होना : किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनके पास स्वयं की कोई जमीन नहीं है। 56.4 प्रतिशत से अधिक किसान परिवारों के पास खेती करने हेतु अपनी भूमि उपलब्ध नहीं है, जबकि देश का आधे से अधिक श्रमबल(लेबर फोर्स) कृषि कार्य में ही लगा है।

भूमि सुधार : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, गांवों की गरीबी मिटाने एवं सामाजिक न्याय हेतु भूमि सुधार को एक आवश्यक कदम माना गया, किन्तु इस दिशा में समुचित क्रियान्वयन नहीं हुआ। यहां तक कि आज भी केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी, जहां वामपंथी दलों का प्रशासन रहा और भूमि सुधार पर बल दिया जाता रहा है, यहां भूमिविहीन ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 70 है। कर्जदार किसानों की संख्या में वृद्धि इसी कारण होती है। कृषि में विकास नहीं हो रहा है, जिस पर गांव निर्भर है। वित्तवर्ष 2014–15 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित थी, किन्तु इस अवधि में कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र की विकास दर मात्र 1.1 प्रतिशत पर ही रुक गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी का प्रभाव यहां के किसानों पर पड़ा।

अधिशेष भूमि वितरण (सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन) : यह कार्यक्रम विवादास्पद बना रहा, यद्यपि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में आश्वस्त थीं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार द्वारा इस दिशा में समय—समय पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अंतर्निहित कमी में दर्शाया भी कि आवंटित की गई भूमि को, इसके अधिकार और कब्जे को सही व्यक्ति के हाथ में सौंपने के कार्य को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है।

खेतिहर मजदूरों को समुचित मजदूरी और इसका समय पर नहीं भुगतान जैसी समस्याएं भी ग्रामीण क्षेत्र में जातीय संघर्ष उत्पन्न करती हैं। इसका कारण है कि भूमि सुधार एवं मजदूरी के भुगतान सम्बन्धी कानून को भली—भाँति लागू नहीं किया



जाता। भूमिहीन लोगों के लिए अधिशेष भूमि के वितरण सम्बन्धी उद्देश्य को प्रशासन तंत्र ने, सम्बंधित शासन व्यवस्था ने पूरी तरह संज्ञान में नहीं लिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व कृषि सम्बन्धी संघर्षों को बल मिला।

डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी अनेकानेक समस्याओं के प्रति अत्यंत गंभीर थे। उनका निश्चित मत था कि जब तक यहां की सामाजिक विषमताओं से, इसके उत्पीड़न से गांव के लोगों, किसानों का उद्धार नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता का इनके लिए कोई अर्थ नहीं, स्वशासित ग्राम की अवधारणा कि ऐसे गांव, स्वतंत्र भारत की आधारशिला बनेंगे (जो गांधी जी की सोच थी), इससे गांव के लोगों का कोई काम होने वाला नहीं; इनका जीवन—स्तर ऊपर उठने वाला नहीं। इतिहासकार रामचन्द्र गुहा कहते हैं कि अम्बेडकर शहरी जीवन तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रशंसक थे और उन्होंने भारतीय गांवों को अन्याय के खोह बताकर खारिज कर दिया।

कृषि मजदूरी की वकालत : सन् 1936–37 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की शुरुआत की, और कृषि श्रमिक तथा मजदूरों की समस्याओं को उजागर किया। अम्बेडकर भारत के ऐसे प्रथम विधायक थे जिन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रचलित काश्तकारी की कृषि दासता(सर्फ़डम) को रद्द करने के लिए पहल की और इसके लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया।

जुलाई 20, 1942 से जून 1946 तक ये वायसराय एंजीक्यूटिव कौसिल में श्रम सदस्य रहे। इस कम अवधि में इन्होंने मजदूरों के भोजन, कपड़े, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा अन्य सुविधाओं हेतु वकालत की, मांग रखी, तथा खेतिहर मजदूरों को भी औद्योगिक श्रमिकों के बराबर ही, मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कानून बनवाए। इस अवधि में केंद्रीय सिंचाई आयोग का गठन हुआ। सिंचाई एवं पॉवर सदस्य के रूप में इन्होंने देश में, विशेषकर बिहार तथा बंगाल में, बाढ़ रोकने एवं पानी के निष्कासन, भूमि का संरक्षण, कटाव, क्षरण जैसी समस्याओं के लिए योजनाएं प्रारम्भ की। महानंदी रिवर वैली प्रोजेक्ट के द्वारा ओडिसा के हीराकुंड डैम का निर्माण हुआ, जो अम्बेडकर की योजना एवं कार्यनीति का एक अनोखा, अपूर्व योगदान है।

गांव स्वतंत्र आर्थिक इकाई : प्राचीनकाल से ही हमारे गांव एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में प्रतिस्थापित रहे हैं। गांवों की अर्थव्यवस्था अपने में ही परिपूर्ण थी, जो



ग्रामवासियों के दैनिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरी कर लेती थी। गांव के लौहार खेती के सारे किस्म के औजार बनाते, बढ़ई खेती के हल बनाते, घरों के साज—सामान तैयार करते, मोची चप्पल—जूते मुहैया करते, धोबी कपड़े धो देते और नाई बाल काट देता। खेत मजदूर का काम पुरुष—स्त्रियां मिलकर करती। और गांव के अंदर ही स्थापित साहू की दुकान पर, दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती। हथकरघे पर कपड़े भी तैयार हो जाते। क्रय—विक्रय हेतु हाटबाजार—मेले लगते। वैधजी छोटी—मोटी बीमारी का उपचार कर देते। बाहर जाने की आवश्यकता ही क्या?

किन्तु इस अर्थव्यवस्था में कमी यह थी कि गांव के लोगों को अपने इस सीमित धंधों से इतनी आय प्राप्त नहीं होती कि ये लोग अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त खर्च कर सकें, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकें। गांधी ने इसलिए तो कहा था कि ग्रामीण उद्योग—धंधों का समुचित विकास करें, इससे ग्रामीण जनों का जीवन सुखमय हो; गांवों का उत्थान हो, पर ऐसा नहीं हुआ।

ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक विषमता, यहां के लोगों की दीन—दशा से अम्बेडकर भी अवगत थे। किन्तु वे नहीं मानते थे कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, और आर्थिक आधार पर, सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न जातीय जैसी समस्याओं का निराकरण संभव है। इनकी मान्यता थी कि नवपूंजीवाद के साथ एक नया नव—दौलतिया समाज पनपा है। यह समाज निरंतर अपने को सांस्कृतिक धरोहर से वंचित कर रहा है। अपनी परम्पराओं से हटकर और आर्थिक शक्तियों को ही एकमात्र शक्ति मानकर यह पश्चिम के अनुकरण में व्यस्त हैं। अम्बेडकर की मान्यता थी कि यद्यपि आर्थिक स्वतंत्रता द्वारा गांवों की आर्थिक दशा में सुधार होगा; शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उपलब्धियों की प्राप्ति भी होगी। किन्तु भारतीय समाज के सुधार के लिए आर्थिक स्वतंत्रता एकमात्र साधन नहीं हो सकता। भारतीय समाज अनेक स्रोतों से मिलकर जीवन गति प्राप्त करता है। यहां के आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र को, सामाजिक लोकतंत्र बनना होगा, तब ग्रामीण अंचल का विकास होगा, असमानता का अंत होगा।

गांवों में रोजगार की समस्या : यहां यह समस्या विकट रही है, जो आज भी है। अपनी आर्थिक विपन्नता एवं सामाजिक विषमता से मुक्ति पाने हेतु गांव के लोग, विशेषकर दलित वर्ग, अपने पारम्परिक पेशे को छोड़कर, अन्य दूसरा बेहतर पेशा अपनाना चाहते हैं, जो अधिक लाभप्रद हो; अधिक सम्मानजनक



हो क्योंकि हमारे समाज में पेशा और उससे प्राप्त होती आय के आधार पर व्यक्ति की पद—प्रतिष्ठा का आकलन किया जाता है। गांव के ऐसे लोग, गांव छोड़कर शहर, दूसरे स्थान को स्थानांतरण या प्रवास करना चाहते हैं। यहां के उच्च जाति, मध्यवर्ग किसान आदि तो बाहर किसी फैक्ट्री आदि में रोजगार हेतु प्रवास करने में सफल हो जाते हैं, किन्तु दलित इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ये पीढ़ी—दर—पीढ़ी अपने पारम्परिक पेशे में रहकर ही दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं, न तो इनकी आर्थिक दशा में सुधार हो पाता और न अछूत जैसी श्रेणी से छुटकारा।

संदर्भ

- देखिये अच्यर, स्वामीनाथन एस. ए.; अम्बेडकर बनाम गांधी, द टाइम्स ऑफ इंडिया; दिल्ली; 9, फरवरी 1914
- गांधी, ग्राम्य—रोमनी (रुरल रोमांटिक) थे, जो स्वशासित गांव को स्वतंत्र भारत की आधारशिला बनाना चाहते थे। अम्बेडकर, एक शहरी जीवन तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रशंसक थे, जिन्होंने भारतीय गांव को, एक अन्याय के खोह (डेन ऑफ इनइक्वलिटी) के रूप में बताकर, खारिज कर दिया।
- देखिये गुहा रामचन्द्र; ऐन एन्थ्रोपोलोजिस्ट अमंग द मार्क्सिस्टस एंड अदर एसेज; परमानेन्ट ब्लैक, न. दि., 2001; उद्घृत द हिंदू चेन्नई दिसंबर 10, 2000

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार डॉ. सहाय समाजशास्त्र में पीएचडी हैं। उनके आलेख देश—विदेश की पत्र—पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। उन्होंने आई.सी.एस.एस. आर. की कई परियोजनाओं का निर्देशन किया है।)

ई—मेल: shirnshui29in@yahoo.com

सामाजिक बदलाव में सामुदायिक रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट

—हेमंत जोशी

देश में पिछले दो दशकों से चल रही बदलाव की बयार से ग्रामीण भारत भी अछूता नहीं रहा है। इन दो दशकों में गांवों की तस्वीर बदली है, लोगों का रहन-सहन बदला है और इसमें संचार माध्यमों के प्रसार के साथ-साथ भारत सरकार की अनेक योजनाओं का विशेष योगदान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं ने तो गांवों का जीवन बेहतर किया ही है, जनसंचार माध्यमों की बहुआयामी पहुंच और गांव के लोगों द्वारा इन माध्यमों के उपयोग ने गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी कम किया है।

पिछले दिनों अप्रैल में जारी की गई भारत के इंटरनेट और मोबाइल संघ (IAMI) और भारतीय बाजार शोध कार्यालय (IMRB) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ग्रामीण भारत में सोशल मीडिया का प्रयोग शत-प्रतिशत बढ़ा और सवा करोड़ उपभोक्ताओं से बढ़कर गांवों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपभोक्ता ढाई करोड़ हो गए। इसकी तुलना में शहरों में सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की संख्या 11 करोड़ 80 लाख के करीब है। इंटरनेट और सोशल मीडिया में गांवों की इस भागीदारी का असली श्रेय भारत में फैलते हुए मोबाइल उद्योग को जाता है जिसकी वजह से आज भारत में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 97 करोड़ से अधिक हो चली है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 42 करोड़ से कुछ ज्यादा की है।

मोबाइल संप्रेषण का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हुआ है क्योंकि इस साधन के लिए उनके गांव तक टेलीफोन के तार पहुंचने का उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा और कम लागत पर और कम किराए पर आसपास के गांवों और शहरों के लोगों से संपर्क करने की सुविधा उन्हें मिली। बैटरी से चलने वाले इन यंत्रों का प्रचलन गांवों में इसलिए भी बढ़ा कि जिन गांवों में बिजली बहुत कम समय के लिए आती है वहाँ भी मोबाइल न केवल बातचीत के काम आता है बल्कि रेडियो और रिकार्ड किए हुए गाने मुहैया कराता है।

एफ.एम और सामुदायिक रेडियो के प्रसार ने भी गांवों में जीवन में बदलाव लाने में बहुत मदद की है। पिछली बार जब पूरे भारत को टेलीविजन से जोड़ने के प्रयास किए गए थे तब लोगों तक सरकार और विकास से जुड़ी सूचनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने हाईपावर और लो-पॉवर ट्रांसमीटर लगाए गए थे। और इनके लगने के कुछ वर्ष बाद ही उपग्रह और केबल टीवी का जिस तरह फैलाव हुआ उसने भारत के शहरों और गांवों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का माहौल ही बदल दिया। लेकिन इस शताब्दी के आरंभ में एफ.एम रेडियो का व्यावसायिक स्तर पर विस्तार हुआ और उसके तुरंत बाद जनप्रसार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामुदायिक रेडियो की स्थापना देशभर में हुई और अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने गांवों के समुदायों को लक्षित करते हुए





सामुदायिक रेडियो और ग्रामीण भारत

सामुदायिक रेडियो से तात्पर्य है कि ऐसी सामग्री का प्रसारण करना जो स्थानीय/विशिष्ट श्रोताओं की मुख्य आवश्यकता है, जिनकी अनदेखी वाणिज्यिक या सरकारी जन-माध्यम प्रसारकों द्वारा की जा सकती है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पिछले दशक से सूचना कांति केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए देश के सर्वांगीण विकास में सामुदायिक रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत गांवों का देश होने के नाते ग्रामीण भारत में सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर अध्ययन बहुत जरूरी है।

सामुदायिक रेडियो बेजुबानों को आवाज देने का एक असाधारण तथा अदृश्य माध्यम है। यह समुदायों को अपने जीवन संबंधित मुद्दों के बारे में आवाज उठाने का अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पोषण आहार, शिक्षा तथा पंचायती राज जैसे ज्वलंत मुद्दों के बारे में सूचना प्रसारित करके सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी.आर.एस.) लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। और इनके जरिए सरकारी तंत्र लाभार्थियों तक कारगर ढंग से पहुँच सकता है। इस संदर्भ में बेर्टल्ट बेल्स ने "रेडियो को दोतरफा संवाद का माध्यम बनाने के लिए सचमुच लोकतांत्रिक बनाने की वकालत की, ताकि इससे सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

भारत सरकार की सामुदायिक नीति 2006 के अंतर्गत भारत का पहला लाइसेंसधारक 'संघम' सामुदायिक रेडियो स्टेशन 15 अक्टूबर, 2008 में स्वतंत्र रूप से मचनुर गांव में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था मचनुर गांव के दलित महिला समुदायों के विकास का रास्ता सुलभ करवाना। इस गांव के विकास के लिए अन्य जनमाध्यम की तुलना में यह असरदार बनकर उभरा है। इस संदर्भ में रेडियो के बारे में लेनिन ने कहा था, "रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार-पत्र है।"

समग्र भारत में सामुदायिक रेडियो के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने एशियाई राष्ट्रमंडल शिक्षण केंद्र के सहयोग से 20 अक्टूबर, 2010 को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इसकी परिणति यह हुई कि तमाम समुदाय प्रोत्साहित हुए और ग्रामीण भारत में अनेक सीआरएस की शृंखला बनती गई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं—

- **रेडियो गुडगांव की आवाज**

इसका प्रसारण 1 नवम्बर, 2009 से शुरू हुआ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन 107.8 मेगा हर्ट्ज नागरिक समाज द्वारा संचालित एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो सप्ताह में सातों दिन 22 घंटे प्रसारण करता है। इस रेडियो स्टेशन की लहरें (रेंज) गुडगांव उद्योग विहार के चारों ओर 10 से 15 किलोमीटर है। इस रेडियो स्टेशन पर लाखों प्रवासी श्रमिकों तथा शहरी निवासियों की आवाज, गीत, कहानियां और इन लोगों के जीवन के संघर्ष की चर्चा होती है।

- **रेडियो नमस्कार**

रेडियो नमस्कार ओडिसा (ओडीशा) में चल रहा पहला सामुदायिक रेडियो है। इसके कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन, खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित होते हैं।

- **रेडियो बुंदेलखण्ड**

रेडियो बुंदेलखण्ड मध्यप्रदेश का सबसे पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अक्टूबर 2008 में एक गैर-सरकारी संगठन ड्वलपमेंट आल्टरनेटिव ने तारग्राम ओरछों में इसे शुरू किया। इसका उद्देश्य समुदाय के लोगों को संचार के माध्यम द्वारा सशक्त बनाने और अपने पैरों पर खड़े होने का एक जरिया उपलब्ध कराना था, जो अब तक जारी है।

- **रेडियो एकिट्व, बंगलौर**

रेडियो एकिट्व बंगलौर का पहला सामुदायिक रेडियो है। श्री भगवान महावीर मेमोरियल जैन कॉलेज, बंगलौर द्वारा 25 जून, 2007 को इसे शुरू किया गया था। यह एक शहरी रेडियो स्टेशन है, जो विविध जातियों तथा समुदायों के लोगों को सेवाएं देता है। इस स्टेशन से अपनी आवाज देने वाले सामुदायिक रेडियो जॉकी (आरजे) शिव कुमार भारत के पहले ऑटोचालक आरजे थे जो विकासात्मक मुद्दों का समाधान तलाशने के लिए हर रविवार नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के साथ आमने-सामने बातचीत करते।

(अमोल मुरलीधर निमसडकर, संचार एवं भीड़िया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र)



रेडियो केंद्र बनाए। आज देश में 179 से अधिक सामुदायिक रेडियो काम कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो की भूमिका का अभी पूरी तरह से मूल्यांकन संभव नहीं है फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर इसका दूरगामी प्रभाव होगा।

अभी 16 मार्च, 2015 को दिल्ली में आयोजित सामुदायिक रेडियो के 5वें सम्मेलन में पहली बार ये आभास हुआ कि सामुदायिक रेडियो के आगमन ने कैसे नई—नई हस्तियों को उभारा है। उस सम्मेलन में 4 ऐसी महिलाओं के नाम सामने आए जिन्होंने सामुदायिक रेडियो के जरिए ग्रामीण लोगों के बीच सफलतापूर्वक काम किया है। शांता कोष्ठी, राधा शुक्ला, गाँधीमति और सीमा भारती श्रीवास्तव ने अपने—अपने राज्यों में विकास, सामाजिक बदलाव और सशक्तीकरण के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया।

50 वर्षीय शांता पहले बीड़ी उद्योग में मजदूर थी पर अब उनका पूरा समय लोगों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने में जाता है। वह हर हफ्ते तीन—चार दिन गांव—गांव जाती हैं और स्थानीय महिलाओं और किसानों को उनकी क्षमताओं को पहचानने में मदद करती है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के मनीपुर गांव से 90.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित इस रेडियो को 40 गांवों के लोग लोकगीतों का कार्यक्रम सप्तरंगी, समुदाय के बुजुर्गों के अनुभव बांटने वाला कार्यक्रम बाडलो बोले छे सुनते हैं।

43 साल की सीमा भारती श्रीवास्तव आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में काम करती थी और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़

जिले में 90.2 मेगाहर्ट्ज पर वायस ऑफ आजमगढ़ का संचालन करती है। सीमा भारती इस इलाके की प्रमुख समस्या महिला—पुरुष असमानता और महिलाओं की अशिक्षा मानती हैं। वह इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के अलावा महिला स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारों पर अधिक ध्यान देती हैं।

लगभग इसी उम्र की राधा शुक्ला उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के बैरी दरियाओं गांव का 'वक्त की आवाज' रेडियो चलाती हैं। वह बताती हैं कि उनका रेडियो लगभग 300 गांवों में सुना जाता है और इसमें अवधी में समाचार—पत्रिका, नाटक और विवर्जन जैसे कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। हमारा ध्यान स्वास्थ्य और कृषि पर रहता है इसलिए महिला श्रोता हमें सुनना पसंद करती हैं।

गाँधीमति की उम्र भी 43 वर्ष है और वह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के 58 गांवों के लिए प्रसारण करती हैं और इस क्षेत्र में उन्हें एफएम मैडम के नाम से जाना जाता है। पेरियार सामुदायिक रेडियो का नाम है 'सोचो, बनाओ और बदलो' और वह महिला किसानों के उद्धार और सशक्तीकरण की सफलता की कहानियां सुनाने के साथ—साथ कृषि की तकनीकों और नव—प्रयोगों के बारे में विशेषज्ञों के साक्षात्कार आदि भी प्रसारित करता है।

इसी तरह मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति की महिला रामवती ने भी रेडियो धड़कन में महत्वपूर्ण काम किया है। वह हर रोज आसपास के पांच गांवों तक पैदल चल कर जाती हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करती हैं जिसे बाद में लोग रेडियो में सुन पाते हैं। उनका मानना है बिना जानकारियों और सूचना के बदलाव संभव नहीं है। घूंघट और परदे में ढंकी—छुपी औरतों के सशक्तीकरण के लिए उन्होंने सार्थक पहल की है।

इस तरह यह दिखलाई पड़ता है कि एफएम रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट के भारतीय गांवों में प्रसार की वजह से ग्रामीण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है और विजली तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के साथ मिलकर जनसंचार माध्यमों ने वहाँ के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने भी इन परिवर्तनों का पूरा लाभ उठाते हुए ई—प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं जिनकी मदद से ग्रामीणों की सरकार तक सीधी पहुंच हो सके और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)
ई—मेल: joshihem@gmail.com

वित्तीय समावेशन से सामाजिक बदलाव

— सतीश सिंह

इककीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब में नहीं है। साफ है गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत को सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है।

समस्या बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की भी है। इस संदर्भ में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए भूमि सुधार के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। किसानों को जागरूक एवं बिचौलिए की भूमिका को सीमित करने की भी आवश्यकता है।

भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश कही गई है। इसलिए हमारे संविधान में समावेशी विकास की बात एसे में वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाने की जरूरत है। यहां सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है गरीब एवं अशक्त लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाना। यही एक रास्ता है, जिससे गरीब एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। ऐसे में सवाल का उठना लाजिमी है कि सामाजिक सुरक्षा की जरूरत किसे है? जाहिर है बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोग ही सामाजिक सुरक्षा पाने के हकदार हैं। इस नजरिये से ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जो बुनियादी सुविधाओं से

वंचित हैं, को सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाकर वहां सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। भारत की 70 प्रतिशत आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय आदि सुविधाओं का अभाव है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में लगभग 30 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में रहते हैं। इधर, लाख दावों व कोशिशों के बाद भी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं दिया जा सका है। इतना ही नहीं बीते सालों से सामाजिक मुद्दे जैसे दहेज, छुआछूत, बाल विवाह, बुजर्गों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना, रोजगार सृजन, अंधविश्वास, जातिवाद आदि उपेक्षित हैं। मामले में स्थिति इतनी गंभीर है कि इन दिनों अमूमन नकारात्मक घटना घटने के बाद ही लोगों को इन मुद्दों की याद आती है।

उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र

सामाजिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण वाहक “कृषि क्षेत्र” आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं। देश के सुदूर इलाकों में बिजली, पानी, सड़क, पुल, भंडारण की व्यवस्था, मंडी का इंतजाम और बैंकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण खेती-किसानी का भगवान भरोसे होना है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि क्षेत्र में अर्ध-बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। एक व्यक्ति की क्षमता वाले काम को अनेक लोग मिलकर कर रहे





हैं, जिसके कारण कड़ी मेहनत के बाद भी किसान जीवनयापन लायक आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं।

करोड़ों लोगों को आज भी दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। जिन्हें मिल रहा है, उनके भोजन में पोषक तत्त्वों की कमी के कारण बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में छह करोड़ से भी अधिक बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं।

आमतौर पर कुपोषण की जद में आने के बाद बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है और बच्चे खसरा, निमोनिया, पीलिया, मलेरिया आदि बीमारियों की गिरफ्त में आकर दम तोड़ देते हैं। बच्चे मरते हैं कुपोषण से, लेकिन लगता है कि उनकी मौत बीमारियों के कारण हो रही है।

देखा गया है कि रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को वित्तीय मदद की जरूरत होती है, लेकिन बैंकों की कमी के कारण किसानों को महाजन की शरण में जाना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में बुनियादी-स्तर पर सुधारवादी कार्य नहीं किए जाने के कारण उत्पादन में बढ़ोतारी, कृषि आय में इजाफा, भूमि-सुधार, समय पर खाद-बीज का इंतजाम, गांवों को निकटतम बाजार से सड़क या रेलमार्ग से जोड़ना, फसलों का मूल्य निर्धारण, खाद्यान्न खरीद नीतियों का मानकीकरण, उचित भंडारण की व्यवस्था आदि में व्याप्त अव्यवस्था के कारण किसानों की हालत दिन-प्रति-दिन बद से बदतर होती जा रही है।

महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाएं

गरीबों के उत्थान के लिए सरकार अनेक सामाजिक योजनाएं चला रही है। पहले से चली आ रही महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम स्वरोजगार योजना आदि महत्वपूर्ण हैं। अन्य तीन बड़ी सामाजिक योजनाओं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजे बीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएस बीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को हाल ही में शुरू किया गया है। इनमें से दो बीमा से जुड़ी योजनाएं हैं, जबकि एक पेंशन से संबंधित। इन योजनाओं को देश के गरीबों के हित में शुरू किया गया है। सरकार गरीबों का सशक्तीकरण करना चाहती है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सबल बनाने की कोशिश की गई है।

सामाजिक बदलाव हेतु वित्तीय समावेशन की जरूरत

आजादी के 67 सालों के बाद भी देश की आबादी का एक बड़ा तबका अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए महाजन

या साहूकार पर निर्भर है, जबकि वे गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण अक्सर आत्महत्या के मामले प्रकाश में आते हैं। दरअसल, बैंकों की सहभागिता के बिना ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव नहीं लाया जा सकता है। हालत में सुधार के लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैंक का होना जरूरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त संख्या में बैंक नहीं हैं। जहां बैंक की शाखा है, वहां भी सभी ग्रामीण बैंक से जुड़ नहीं पाए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल आबादी के अनुपात में 68 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं।

बीपीएल वर्ग में सिर्फ 18 प्रतिशत के पास ही बैंक खाता है। देश की 42 प्रतिशत आबादी और 58 प्रतिशत परिवार औपचारिक बैंकिंग सुविधा से आज भी वंचित हैं। अशिक्षा व गरीबी के कारण वे बैंकों में अपना खाता खुलवाने की स्थिति में नहीं हैं। बैंक के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं कि वह उनका खाता खुलवा सकें।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए सभी जरूरतमंद लोगों को बैंक से जोड़ना एकमात्र विकल्प है। बैंक से जुड़ने के बाद ही उन्हें सब्सिडी सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाएं, जहां संपर्क और बुनियादी ढांचे की समस्याएं हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब 50,000 गांव पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, जहां बैंकिंग सुविधा पहुंचाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

आधारभूत संरचना की कमी को दूर करने एवं खेती-किसानी हेतु प्रकृति पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार बैंकिंग तंत्र की भूमिका को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस आलोक में बैंक लाभार्थी के खातों में सब्सिडी, कृषि कार्यों को गति देने के लिए ऋण, रोजगार सृजन, बीमा एवं उसके भुगतान को सुनिश्चित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा, कृषीर उद्योग को विकसित करने आदि में अपनी महती भूमिका निभा सकता है।

वित्तीय समावेशन का अर्थ एवं मौजूदा स्थिति

वित्तीय समावेशन का अर्थ है हर किसी को बैंक से जोड़ना। बैंक से जुड़े रहने पर ही किसी को सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से दी जा सकती है। इसके लिए सरकार बैंकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे देश में फिलहाल क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के अलावा 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के और 43 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। बावजूद इसके, हमारे देश में एक लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 11 बैंक शाखा हैं, जबकि अमेरिका में यह एक लाख की जनसंख्या पर 35 हैं। एक अनुमान के मुताबिक, बैंकों को 6 करोड़ ग्रामीण इलाकों के घरों को बैंक से जोड़ना



है। 31.03.2014 को देशभर में 1,15,055 बैंक शाखाओं और 1,60,055 एटीएम का नेटवर्क था, जिसमें से 43,962 (38.2%) शाखाएं और 23,334 (14.58%) एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में थे।

डाकघर भले ही वर्तमान में सभी तरह की बैंकिंग जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी बैंकों की तरह कार्य करने लगेगा। देश की आजादी के वक्त डाकघरों की संख्या महज 23344 थी, जो 31 मार्च, 2009 में बढ़कर 155015 से अधिक हो गई, जोकि सभी वाणिजियक बैंकों की शाखाओं से लगभग दुगुनी थी और इनमें से 89.76 प्रतिशत यानी 139144 शाखाएं ग्रामीण इलाकों में थीं।

सुदूर ग्रामीण इलाकों में डाकघरों की गहरी पैठ है। साथ में ग्रामीणों का भरोसा भी उस पर अटूट है। ग्रामीण इलाकों में डाककर्मी चौबीस घंटे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आमतौर पर गांवों में डाककर्मी खेतीबाड़ी के साथ-साथ डाकघर का काम करते हैं। डाकघर उनके घर से संचालित होता है।

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना सरकार का काफी पुराना लक्ष्य है। इसकी मदद से सरकार अपने सामाजिक व आर्थिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहती है। गरीबों को बुनियादी सुविधाएं एवं जीवनयापन के लिए आवश्यक तंत्रों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हें भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें बैंक से जोड़ना आवश्यक है। बैंक के माध्यम से ही गरीबों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयास

वित्तीय समावेशन के सपने को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम था। बैंकों का विस्तार, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि की शुरुआत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई थी। बाद में लीड बैंक, स्वसहायता समूह (एसएचजी), सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) का आगाज भी वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करने के लिए किया गया। पहले “स्वाभिमान” के नाम से सरकार वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य कर रही थी। इसी क्रम में अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना का आगाज किया। इस योजना को लागू कराने में बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक के



कारोबारी प्रतिनिधि आदि सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। कारोबारी प्रतिनिधि बेहतर कार्य करें इसके लिए उन्हें एक निश्चित वेतन देने की भी योजना है। इसके लिए केवाइसी नियमों को भी सरल बनाया गया है। बैंक ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8 जुलाई, 2015 तक 16.73 करोड़ खाते खोले जा चुके थे, जिसमें 10.1 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। इस अवधि तक 14.87 करोड़ रुपे कार्ड भी खाताधारकों को जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत खोले गए खातों में संतोषजनक रूप से खाता चलाने वाले खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा रही है। योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए राज्य व जिला-स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है।

इस आलोक में सरकार की मंशा छोटे बैंकों का विस्तार देश के दूरदराज इलाकों में करने की है, ताकि बैंकिंग सुविधाएं सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें। देखा जाए तो छोटे बैंकों का मुख्य कार्य जमा उत्पाद मुहैया कराना, छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म, छोटे और मझोले किसानों को कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना, असंगठित क्षेत्र की कंपनियों और छोटी कंपनियों को उच्च-स्तर की तकनीकी सुविधा कम लागत पर देना आदि है। छोटे बैंक से सबसे अधिक फायदा छोटे किसानों, कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों एवं अन्य छोटे कारोबारियों जैसे, खोमचे वाले, रेहड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले आदि को होगा, क्योंकि छोटे बैंक का उद्देश्य छोटे किसानों, कुटीर उद्योग चलाने वाले कारोबारियों, अति लघु व लघु उद्योगों, असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक-स्तर की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत सीमित-स्तर तक जमा स्वीकार किए जाएंगे और 25 लाख रुपये तक ऋण भी दिए जा सकेंगे। साथ ही, ये बैंक ग्राहकों



को दूसरी बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेंगे। स्पष्ट है, छोटे बैंकों के अस्तित्व में आने से छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा, जिससे कुटीर उद्योग एवं एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।

माना जा रहा है कि छोटे बैंक के आने से कर्ज दर में उल्लेखनीय कमी आएगी। छोटे बैंकों द्वारा गृह, शिक्षा, कृषि से जुड़े ऋण एवं एसएमई से जुड़े कर्ज देने से लोगों की बड़े बैंकों पर से निर्भरता कम हो सकेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि छोटे बैंकों की मदद से देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही, छोटे किसानों व कारोबारियों को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराया जा सकेगा। छोटे बैंक पूँजी की लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह सस्ती दर पर कर्ज नहीं उपलब्ध करा सकेंगे। इसलिए, कारोबार के विस्तार के लिए छोटे बैंकों को सुदूर इलाकों में जाना होगा, जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तबके को फायदा होगा। इससे बैंकों के बीच स्वरथ प्रतिस्पर्धा के माहौल का निर्माण भी हो सकेगा।

इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने 10 छोटे बैंकों में से अधिकतर सूक्ष्म वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को लाइसेंस दिया है। 'बंधन' जो पूर्व में माइक्रोफाइनेंस की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा था, ने बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पहले ही महीने में 5 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। लाइसेंस पाने वाली कंपनियां वैसे लोगों को कर्ज मुहैया करा रही हैं, जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है। माना जा रहा है कि आईडीएफसी बैंक भी वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की दिशा में बेहतर कार्य करेगा, क्योंकि यह पहले से ही सूक्ष्म-स्तर पर वित्तपोषण करने का काम कर रहा है।

इधर, भुगतान बैंक के माध्यम से रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के फलक को व्यापक बनाने की कोशिश की है। गौरतलब है कि भुगतान बैंक में चालू एवं बचत खाता के तहत एक लाख रुपये तक की जमा स्वीकार किए जाएंगे। यह बैंक एटीएम या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा दे सकेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड एवं कर्ज देने की अनुमति इसे नहीं होगी। भुगतान बैंक में रकम जमा और निकासी की जा सकेगी। यह चेकबुक जारी करने एवं बीमा करने का भी कार्य कर सकेगा। इन्हें शाखाओं के विस्तार या एटीएम नेटवर्क पर भारी-भरकम पूँजी लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह अपने प्रतिबद्ध प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण इलाके के छोटे कारोबारियों, पेट्रोल पंप आदि की मदद से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा।

मोबाइल बैंकिंग सामाजिक बदलाव का वाहक

एक आकलन के मुताबिक 125 करोड़ आबादी की बैंकिंग जरूरतों को बैंक शाखा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश के कोने-कोने में बैंक शाखा खोलना और वहां बैंकिंग कार्यकलापों के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना एक महंगी एवं अव्यावहारिक प्रक्रिया है। लिहाजा, मोबाइल बैंकिंग को वित्तीय समावेशन की संकल्पना को पूरा करने के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मोबाइल बैंकिंग किसी भी शाखा में किए जा रहे बैंकिंग कार्य के संचालन से 10 गुना सस्ती भी है। मोबाइल का इस्तेमाल करने के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और यहां मोबाइल के 900 मिलियन उपभोक्ता हैं। जाहिर है इसकी मदद से आसानी से वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा तबका अभी भी बैंकिंग सुविधाओं से महरूम है। पूरे देश में लगभग 95000 बैंक शाखाएं हैं और इनकी मदद से 125 करोड़ आबादी की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में कम से कम 30 से 40 वर्ष लगेंगे। इस कमी को मोबाइल बैंकिंग के जरिए पूरा किया जा सकता है। इसकी सहायता से पैसों का भुगतान, अंतरण, बिलों का भुगतान आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण ग्राहकों की तकरीबन सभी सामान्य आवश्यकताएं घर बैठे पूरी हो रही हैं और समय की बचत, आत्मविश्वास में इजाफा, वित्तीय सूचनाओं की उपलब्धता आदि संभव हो पा रही हैं।

मौजूदा समय में मोबाइल बैंकिंग के जरिए चेकबुक हेतु आवेदन देना, आवर्ती व सावधि खाता खोलने के लिए रिक्वेस्ट करना, पैसों का अंतरण, प्रति माह पचास हजार रुपये का नकद प्रबंधन, डेबिट एवं क्रेडिट स्टेटमेंट आदि सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। अधिकांश लोगों के हिंदीभाषी होने के कारण कुछ बैंकों ने हिंदी में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मुहैया करायी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रवेश करना आसान हो गया है।

बैंकों के द्वारा मोबाइल बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं अच्छे ग्राहकों को खुद से निश्चित सीमा तक क्रेडिट लिमिट बनाने की सुविधा भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्राहक अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। मोबाइल नेटवर्क की सहायता से पैसों का अंतरण या पॉइंट ऑफ सेल पर इसे डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

रुपे कार्ड से ग्रामीणों का जीवन हुआ आसान

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में रुपे कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्र के



सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक ऑनलाइन, एटीएम और बिक्री केन्द्रों से खरीदारी कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार ई-कामर्स की संकल्पना को सही मायनों में सच करने की दिशा में यह कारगर साबित हो रहा है। इससे लोग खुदरा खरीदारी कर रहे हैं। बैंक गए बिना पैसों की निकासी की सुविधा मिलने से समय की बचत के साथ-साथ बिचौलियों के पंजे से भी ग्रामीणों को छुटकारा मिला है। आज ई-कामर्स की सुविधा का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर बैठे मनचाहा उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और सस्ती दर पर विविध उत्पाद उपलब्ध हो पा रहे हैं।

बैंकिंग सूचना और प्रौद्योगिकी से ग्रामीण युवाओं को फायदा

आज सूचना और प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया है। नये जमाने की बैंकिंग का एक अहम हिस्सा मोबाइल, एटीएम एवं इंटरनेट बैंकिंग है, जिसने पुरानी बैंकिंग की परिभाषा को बदल दिया है। आज बैंक से पैसा निकालने के लिए न तो किसी को बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ता है और न ही लंबी लाईन में लगने की जरूरत होती है। आज की बैंकिंग देशकाल की सीमा से परे हो गई है। इसकी उपलब्धता 24 घंटे और 365 दिन हो गई है। उपयोग की सरल प्रक्रिया एवं अकूत फायदों की वजह से आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ग्रामीण मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम का धीरे-धीरे उपयोग करने के आदी हो रहे हैं। सच कहा जाए तो अद्यतन बैंकिंग तकनीक ने विश्व को एक गांव बना दिया है। अब ग्राहक किसी भी समय विश्व के किसी भी कोने से अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे ग्राहकों का बहुमूल्य समय बच रहा है जिसका उपयोग ग्रामीण जरूरी कार्यों को निपटाने, अपने परिवार व दोस्तों के लिए कर रहे हैं।

बैंक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन का आधार

एक लंबी गुलामी ने देश को खोखला कर दिया था। अर्थव्यवस्था में तेजी और सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना जरूरी था। बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में एसएचजी एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में शुरू से ही गंभीर मसला

रहा है। जिस देश का युवा रोजगार पाने से महसूस रहे, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? इकीसर्वों सदी में भी हमारे देश की सरकार रोजगार कार्यालय खोलने के लिए मजबूर है। फिर भी इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। आज हमारे देश में रोजगार के अभाव में युवा दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ते अपना रहे हैं या फिर कर्ज एवं खुशमरी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हाल ही में किसानों ने आत्महत्या की है। इसके मूल में निश्चित रूप से अर्ध-बेरोजगारी या बेरोजगारी है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन उन्हें कभी भी सही तरह से लागू नहीं कराया जा सका। अतः बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाना आवश्यक है जिसे वित्तीय समावेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र का समावेशी विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद ही आ सकती है। सरकार इस तथ्य से भलीभांति अवगत है। लिहाजा, वह बैंकों की मदद से गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहती है। इस क्रम में ऋण एवं दूसरी सरकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए आधुनिक सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाना चाहती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। जाहिर है इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा और ग्रामीण रोजगार की तलाश





में शहर या परदेस पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। गांव का पैसा गांव में ही रहने से वहां का बेहतर विकास हो सकेगा। गांव में वहां के लोगों की हर समय उपस्थिति से सामाजिक-स्तर में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा।

शिक्षा से बदलेगी ग्रामीण भारत की सूत्र

भारत एक विकासशील देश है यानी विकास के बहुत सारे मानक अभी भी यहां अधूरे हैं। समस्या गरीबी, स्वास्थ्य एवं अशिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकी वजह से आबादी का एक बड़ा तबका मुफलिसी में जीवन जी रहा है, जबकि लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन समस्याओं से आम जनता को निजात दिलाए। 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक लंबी गुलामी ने देश को खोखला कर दिया था। अर्थव्यवस्था में तेजी और सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले गरीब होशियार बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना सपने पूरे करने के समान था। चाहते हुए भी, वे अपने सपने साकार नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं था कि इसका नुकसान सिर्फ बच्चों को ही हुआ।

हमारा देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, जहां के बच्चे समुचित शिक्षा पाने से वंचित रह गए, इस वजह से योग्य इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रबंधक, प्रशासक, पत्रकार आदि की सेवा पाने से महरूम रहे। इन्हीं में से कोई रवीन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन या फिर एपीजी अब्दुल कलाम हो सकता था, लेकिन अव्यवस्था की वजह से ऐसा नहीं हो सका और योग्य मानव संसाधन की कमी से देश के विकास की रफ्तार मंद पड़ गई।

गौरतलब है कि भारत की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है। शहरों एवं गांवों पर एक समान ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में सकल नामांकन अनुपात मात्र 12.4 प्रतिशत है, जबकि विश्व का औसत 25 प्रतिशत और विकसित देशों का 50 प्रतिशत है। पिछड़े देशों में यह औसत 6 प्रतिशत है। देखा जाए तो हमारी स्थिति पिछड़े देशों से थोड़ा बेहतर है। भारत में गरीबी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लिहाजा, शत-प्रतिशत साक्षरता का सपना शिक्षा को सर्वसुलभ बनाकर ही साकार हो सकता है।

आधारभूत संरचना में मजबूती से ग्रामीण विकास को बल

अर्थशास्त्र के नियम की बात करें तो विकास का आधार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि को माना जाता है। इस नजरिए से देश के समावेशी विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा और यह तभी संभव

हो सकता है जब गांवों में सड़क, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की स्थिति में सुधार लाया जाए। स्पष्ट है इन कार्यों को बैंकों की सहभागिता के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सामाजिक बदलाव और देश में समावेशी विकास नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए हर घर को बैंकों से जोड़ना जरूरी है। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को दो वर्तक की रोटी नसीब में नहीं है। साफ है गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत को सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। समस्या बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की भी है। इस संदर्भ में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए भूमि सुधार के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। किसानों को जागरूक एवं बिचौलिए की भूमिका को सीमित करने की भी आवश्यकता है। यह सब सुनिश्चित करने के लिए फसलों का मूल्य निर्धारण, भंडारण, आधारभूत संरचना को मजबूत, विपणन की व्यवस्था, खाद्यान्न खरीद नीति, बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की जरूरत है।

एक समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश होने के नाते सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन्हें सही तरह से लागू नहीं कराया जा सका है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना आवश्यक है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में सुधार, गरीबी व भ्रष्टाचार उन्मूलन, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास को गति देने आदि से सामाजिक सुरक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त संख्या में बैंकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। स्पष्ट है देश में बैंकों का जाल बिछाकर ग्रामीण भारत में गरीब एवं अशक्त लोगों को सामाजिक रूप से सुरक्षित करने में हम सफल हो सकते हैं। ऐसा होने पर ग्रामीण भारत की तस्वीर निश्चित रूप से बेहतर होगी।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक, पटना में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।)

ई-मेल: satish5249@gmail.com/singhsatish@sbi.co.in

स्मार्ट गांव से सशक्त भारत

—उमाशंकर मिश्र एवं
—डॉ. रश्मि बोहगा

गांवों के देश और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था में 'स्मार्ट गांव' अब बदलते वक्त की हकीकत बनने जा रहे हैं। स्मार्ट गांवों के निर्माण से सशक्त भारत बनने की राह प्रशस्त हो सकती है। लेकिन सबसे पहले सड़क, शौचालय, बिजली, पेयजल, शिक्षा, रोजगार, घाटे की खेती और पंचायती राज की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण भारत की बुनियादी समस्याओं को दूर करना जरूरी है।

कुछ समय पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सौ स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की थी, तभी से सवाल उठने लगा था कि भारत की बहुसंख्य आबादी को स्मार्ट जिंदगी आखिर कब नसीब होगी? यह सवाल उठना लाजिमी भी था। खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी अभी तक भोजन, पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मसलों से जूझ रही है।

आज जब पूरी दुनिया सूचना के सुपर-हाइवे पर दौड़ रही है और स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट-वॉलेट, स्मार्ट किचन और स्मार्ट-होम की अवधारणा अस्तित्व में आ चुकी है, तो गांवों को इस स्मार्टनेस से दूर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब जबकि भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की तर्ज पर 300 ग्राम समूहों को 'स्मार्ट गांव' में बदलने के लिए 'श्यामाप्रसाद मुखर्जी रर्ड्बन मिशन' की घोषणा कर दी





है, तो गांवों के विकास की एक उम्मीद जगी है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि भारत जिसे 'गांवों का देश' कहा जाता है, जहां बहुसंख्य आबादी गांवों में ही निवास करती है और जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेतीबाड़ी है, वहां पर 'स्मार्ट गांव' के आखिर मायने क्या हैं? वर्तमान हाईटेक युग में गांवों में भोजन, पानी, सड़क और शौचालय बना देना ही क्या पर्याप्त माना जा सकता है? क्या इस योजना की बदौलत ग्रामीण युवाओं को मौजूदा सूचना समाज से जुड़कर रोजगार के रास्ते तलाशने का मौका मिल सकेगा? सवाल कई हैं। जाहिर है भूमंडलीकरण और इंटरनेट की बदौलत आज जब पूरी दुनिया 'वसुधैव कुटुम्बकम' की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में भारतीय गांवों को सिर्फ दो वक्त की रोटी पर केंद्रित नहीं रखा जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रअर्बन मिशन' के तहत गांवों की तस्वीर बदलने का सपना पूरा हो सकता है। इन गांवों में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की अधिकांश सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत करीब 5142 करोड़ रुपये के व्यय से पूरे देश में आगामी तीन वर्षों में 300 ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत या फिर जुड़े गांव शामिल रहेंगे।

बुनियादी सुविधाओं के अलावा गांवों की अपनी सामाजिक समस्याएं भी हैं, जो पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को भी प्रभावित करती हैं। मौजूदा योजना में उन तमाम समस्याओं को दूर करने की पहल की गई है। 'डिजिटल इंडिया' के तहत 2.5 लाख गांवों में तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की पहल की जा चुकी है। केरल के इडुक्की जिले से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इडुक्की पहला जिला है जिसे नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस पहल से गांव के सभी मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इसी तरह की पहल अब देश के अन्य जिलों में भी की जा रही है। गांवों में इंटरनेट की पहुंच और उसके सर्वसुलभ होने से भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने में मदद मिल सकती है। ग्रामीण छात्रों को इंटरनेट के जरिये दुनिया भर की तमाम जानकारियां मिल सकेंगी और उनके विकास के रास्ते खुलेंगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा, जो नौकरशाही से परेशान हैं। ग्रामीणों का डिजिटल सशक्तीकरण उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में काफी हद तक कारगर हो सकता है। गवर्नेंस और ऑन डिमांड सर्विसेज की ऑनलाइन पहुंच गांवों तक होने से इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

बेहतर होगा कि सरकार हरेक गांव में एक ई-सर्विस सेंटर खोलने के बारे में भी विचार करे, जहां पर बिना किसी रुकावट के इंटरनेट के इत्तेमाल की सहूलियत हो। ये ई-सर्विस सेंटर ग्रामीणों को इंटरनेट से जुड़ी तमाम सेवाएं नाममात्र शुल्क पर

उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल नौकरी या फिर किसी शिक्षा संस्थान में आवेदन करने के लिए ग्रामीण छात्रों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गांव में अगर ई-सर्विस सेंटर होगा तो इस मुश्किल को दूर किया जा सकेगा। इसी के साथ-साथ हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग समेत विभिन्न सेक्टर्स से ग्रामीणों का सीधा जुड़ाव हो सकेगा। ई-सर्विस सेंटर के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी जा सकती है और ग्राम पंचायत इसके लिए अस्थायी तौर पर कुछ लोगों की समिति गठित कर सकती है। ब्लॉक लेवल अधिकारी को संबंधित ब्लॉक के गांवों के ई-सर्विस सेंटर्स की निगरानी का जिम्मा सौंपा जा सकता है। गैर-सरकारी संगठनों की मदद भी इस काम में ली जा सकती है, जो महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों को इंटरनेट आधारित रचनात्मक गतिविधियों के जरिये ई-सर्विस सेंटर से जोड़ने का काम कर सकते हैं। इंटरनेट की पहुंच होने से गांवों में बीपीओ तेजी से खोले जा सकते हैं, जहां महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें, तो 'डिजिटल इंडिया' समग्र ग्रामीण विकास का अग्रदूत बन सकता है। लेकिन बिजली की अघोषित कटौती आज भी गांवों की एक बड़ी समस्या है।

बिजली के बिना 'डिजिटल' लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, सौर ऊर्जा के उपयोग से इस मकसद को अंजाम दिया जा सकता है। सौर ऊर्जा न केवल किफायती है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। कई राज्यों में सिंचाई के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। सोलर पैनल लगाकर न केवल अबाध इंटरनेट की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि गांवों की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। हाल में अपनी लंदन यात्रा के दौरान वेम्बले स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भी इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दोहरा चुके हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल पूरे हो रहे हैं। मेरे दो सपने हैं— पहला, सफाई और दूसरा, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। इसके लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा से 150 गीगावॉट बिजली पैदा करने का कार्य शुरू किया है।

आधारभूत संरचना के विकास के अलावा गांवों की कई सामाजिक समस्याएं भी हैं। इनमें छूआछूत से लेकर लैंगिक भेदभाव तक शामिल हैं। ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक भेदभाव से जुड़ी समस्याओं से विभिन्न नीतियों के जरिये समय-समय पर निपटने की कोशिश की गई है, जो आज भी जारी है। इनमें दहेज, विवाह की आधिकारिक उम्र बढ़ाने और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के प्रयास प्रमुख हैं।



इन प्रयासों के बावजूद विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कार्यशील आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 30 प्रतिशत है। जाहिर है ग्रामीण इलाकों में लैंगिक भेदभाव अभी मिट नहीं पाया है। लैंगिक असमानता, महिला स्वास्थ्य और प्रसव-पूर्व लिंग पहचान जैसी चुनौतियों से सख्ती से निपटना होगा, तभी समवेशी विकास के सपने को साकार किया जा सकेगा।

इन सबसे महत्वपूर्ण कृषि और किसानों का सशक्तिकरण है। सकल घरेलू उत्पाद में आज भी कृषि की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मानसून कमज़ोर होने से एक ओर किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है, तो दूसरी ओर कीमतें बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए भी जीवनयापन कठिन हो जाता है। दीर्घकालीन और टिकाऊ खेती वक्त की जरूरत है। इसी के साथ कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की ट्रेनिंग देकर किसानों को सशक्त बनने की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

सिंचाई सुविधाओं के विकास के साथ-साथ किसानों को फसल का उपयुक्त मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। तभी कृषि और किसानों का भला हो सकेगा।

भारत सरकार ने स्मार्ट गांव के लिए 14 जरूरी अनिवार्य शर्तें तय की हैं। इनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण सुविधा, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, नल-जल आपूर्ति, ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन, ग्रामीण सड़क और नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल हेल्थ इकाई, उच्च शिक्षा की सुविधा, सड़क, ई-सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन और रसोई गैस कनेक्शन शामिल हैं। गांवों के समूह में 25 हजार से 50 हजार की आबादी होगी। जबकि पहाड़ी, रेगिस्तान या आदिवासी इलाकों में जिन सटे हुए गांवों को समूह के तौर पर विकसित किया जाना है, उनकी आबादी 5 हजार से लेकर 15 हजार के बीच होगी। 'स्मार्ट गांव' का चुनाव करते वक्त उन गांवों में तीर्थ और पर्यटन की क्षमता और आसानी से पहुंचने वाले इलाकों का ख्याल रखा जाएगा।

'स्मार्ट सिटी' की तरह 'स्मार्ट गांव' के लिए केंद्र सरकार वित्तीय मदद करेगी, जबकि बाकी की रकम ग्राम समूह को खुद से जुटानी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी के विकास के लिए एक कंपनी



बनाने का प्रावधान है, जिसका एक सीईओ होगा। कुछ इसी तरह 'स्मार्ट गांव' के लिए भी संस्थागत व्यवस्था की जाएगी, जो 'स्मार्ट गांव' बनाने में सहयोग करेगा। इन सुविधाओं के माध्यम से डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे।

इस योजना का लक्ष्य गांवों को समूह के तौर पर विकसित करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे की सुविधा के साथ कुशल कारीगर और लोगों को स्वरोजगारी बनाने के साधन उपलब्ध होंगे। अगर ऐसा हुआ, तो गांवों से पलायन कम होगा और भारतीय गांव एक बार फिर से आत्मनिर्भर सत्ता बन सकेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और ग्रामसभा की ताकत से ग्रामीणों को परिचित कराना वक्त की जरूरत है। ऐसे गांवों की संख्या काफी अधिक है, जहां ग्रामसभा की बैठकें तक नहीं होती। गांव के विकास से जुड़े फैसलों में जनभागीदारी न होने से ग्राम प्रधान की तानाशाही चलती है। जाहिर है ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए पंचायती राज की पुर्नस्थापना भी जरूरी है।

(लेखक क्रमशः वर्धमान खुला विश्वविद्यालय (कोटा) में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में शोधार्थी और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)
ई-मेल: umashcenkermm2@gmail.com

सूचना का अधिकार ला रहा है गांवों में बदलाव

— अरविंद कुमार सिंह

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा में सभी स्वायत्त संस्थाएं भी शामिल हैं (क्रमशः पंचायतें एवं नगर निकाय स्वायत्तशासी संस्थाएं कहलाती हैं) इस प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सूचना तक पहुंच के प्रावधानों के साथ-साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिक कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या उनसे उद्धरणों या टिप्पणियों को प्राप्त कर सकते हैं। सामग्रियों के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

राजनीय शासन में आर्थिक सुधारों के साथ सामाजिक समता, न्याय एवं संस्थात्मक सुधारों को शामिल करना गांधीजी की 'पूर्ण स्वराज' की दूरदर्शी कल्पना दृष्टि थी। गांधीजी मानते थे "भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जाएगा।" इसी कारण विकास के विभिन्न प्रतिमानों में गांधीवादी प्रतिमान 'सर्वोदय' एवं 'अन्त्योदय' भारतीय परिवेश में पंचायती राज की आधारशिला बन गए। इसी संकल्पना ने स्वतन्त्रता के पश्चात् गांव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्रामीण शासन

व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए संविधान के भाग-4, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के संदर्भ में व्यवस्था की। 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए 73वें संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों में शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ। पंचायती राज संस्थाएं गाँव, ब्लाक और जिला-स्तर पर काम करती हैं।

पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीणों को ग्राम नियोजन प्रक्रियाओं में भागीदारी करने, सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल होने का एक व्यावहारिक अवसर देती है। साथ ही वे उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधे संवाद-संपर्क करने का मौका भी देती हैं और इस तरह वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके हितों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है और उनका पैसा सही तरीके से खर्च हो।

सिद्धांत में पंचायती राज संस्थाएं हालांकि बेहद अच्छी पहल हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं रही। खराब प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र के निवासियों द्वारा सहभागी तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करने में असफलता और धनराशियों में हेराफेरी के कारण बहुत-सी पंचायती राज





संस्थाओं की आलोचना की गई है। इस संदर्भ में सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थाएं भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को स्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें। पंचायत संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब अधिक सार्थक होगी जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएं होंगी और वे निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगे। व्यवहार में सूचना का अधिकार लोगों को आवेदन करने पर पंचायती राज संस्थाओं के पास मौजूद एक साधन ही प्रदान नहीं करता, बल्कि स्वयं पंचायतों का भी कर्तव्य है कि वे महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपनी पहल पर सार्वजनिक करें। उदाहरण के लिए ग्रामसभा की बैठकों में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, सूचना पटल पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने, गांव में लाउडस्पीकर के जरिए। रेहांव गांव ने इस संदर्भ में एकता, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ आदर्श स्थापित किया है।

महराजगंज जिला मुख्यालय से 7 कि.मी. की दूरी पर तथा अपने ब्लॉक मिठौरा से 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित रेहांव गांव के ग्रामवासियों ने ग्रामीण संपर्क हेतु निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मार्ग में छायादार एवं फलदार वृक्षों की लम्बी कतारे तथा ग्रामीण सफाई एवं जल निकासी के लिए बनाई गई नाली एवं स्वच्छ पेयजल हेतु स्थान-स्थान पर लगाए गए हैण्डपम्प तथा इन्दिरा आवास योजना के तहत चयनित परिवारों का मानक एवं सूची के सभी चयन प्रक्रिया एवं प्रयोग किए गए सामग्री का स्पष्ट एवं पारदर्शी रखरखाव ग्राम सचिवालय में होने से रेहांव गांव के ग्रामीण परिवारों को गांव से जुड़ी सभी विकास योजनाओं की सूचना उपलब्ध हुई हैं। उसके परिणामस्वरूप रेहांव ग्राम के ग्रामीण परिवारों में आशा एवं उत्साह का संचार हुआ है।

सरकार ने मई 2004 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जरिए स्वच्छ और पारदर्शी शासन देने के लिए 23 दिसम्बर, 2004 को संसद में सूचना का अधिकार विधेयक पेश किया। लोकसभा में लंबी बहस के बाद 11 मई, 2005 को 146 संशोधनों के साथ सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई तथा अगले दिन राज्यसभा ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 अक्टूबर, 2005 को यह कानून पूरे देश में लागू हो गया (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)। भारत में लागू लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत प्रशासन की जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता को ही दी गई है। यह विदित है कि लोकतंत्र का अर्थ, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन है। चूंकि सरकार और प्रशासन जनता के पैसे से चलता है इसलिए जनता को यह



सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

जानने का अधिकार है कि उसके धन का सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। दूसरी तरफ, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने फैसलों के बारे में पूरी पारदर्शिता बरते तथा इसकी जानकारी जनता को दे।

सूचना के अधिकार का मतलब – इस कानून में 'सूचना' शब्द की विस्तृत परिभाषा में 'राय एवं सलाह' तथा प्रकट किए जाने वाले विषय भी शामिल किए गए हैं। इसके तहत-

- कार्यों, दस्तावेजों और रिकार्ड का निरीक्षण किया जा सकता है।
- दस्तावेजों और रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि और उद्धरण लिए जा सकते हैं।
- सूचना से संबंधित टंकित प्रति, फ्लापी, सी.डी., टेप, वीडियो टेप अन्य इलैक्ट्रॉनिक फार्म हासिल किये जा सकते हैं।

यह किस पर और कैसे लागू होगा – हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत ना केवल सभी केन्द्रीय कार्यालय आते हैं बल्कि, राज्य सरकार / केन्द्रशासित प्रदेश तथा उनके द्वारा वित्तपोषित सभी संस्थाएं एवं इकाईयां भी आती हैं। यह अधिनियम उन सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिन्हे संविधान के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया है या फिर जिसे संसद या राज्य विधान द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि पंचायती राज संस्थाएं जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। चूंकि, पंचायतें राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित की गई हैं, अतः ये दूसरे मापदण्ड को भी पूरा करती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा में सभी स्वायत्त संस्थाएं भी शामिल हैं (क्रमशः पंचायतें एवं नगर निकाय स्वायत्तशासी संस्थाएं कहलाती हैं) इस प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं।

पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सूचना तक पहुंच के प्रावधानों के साथ-साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिक कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते



हैं, दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या उनसे उद्धरणों या टिप्पणियों को प्राप्त कर सकते हैं। सामग्रियों के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं और इलेक्ट्रानिक रूप ने भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

क्या सूचनाएं स्वतः प्रकाशित की जाएंगी?

सूचना का अधिकार अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 4 (I) (ख) (जिसे "सूचना का स्वतः प्रकटीकरण" भी कहा जाता है,) यह भी अपेक्षा करती है कि लोक प्राधिकरण नियमित अंतराल पर सूचनाओं की महत्वपूर्ण श्रेणियों को स्वतः प्रकाशित करते रहें। इस सूचना हेतु लोक प्राधिकरणों को नागरिकों की ओर से मांग करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रकाशित की जानी चाहिए—

- संगठनात्मक ढांचा और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य;
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही का माध्यम भी शामिल हो;
- इनकी कार्यप्रणालियों में अपनाए जाने वाले मापदण्ड

रेहांव ग्राम के ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार सिंह जो स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, ने नौकरी के बजाय अपने ग्राम के विकास का बीड़ा उठाया, उन्होंने स्वयं नकद कृषि उत्पाद जैसे केले की खेती, पिरामिट की खेती तथा सब्जियों का उत्पादन कर अपने ग्रामीणों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। रेहांव नदी में बरसात के दिनों में पानी की अधिकता से ग्रामवासियों का शहर एवं आसपास के बाजार से सम्पर्क टूट जाता था। मनोज कुमार सिंह ने पिछले ग्रामसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपने गांव की तकदीर बदलने का प्रयास किया। सर्वप्रथम ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण में स्थानीय विधायक एवं सांसद से मिलकर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण करवाया तथा नदी एवं छोटे नालों हेतु पुल निर्माण का कार्य किया। मनोज सिंह जी बताते हैं कि निर्माण कार्य में ग्रामवासियों में जागरूकता की कमी को देखते हुए उन्होंने निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों एवं निर्माण की प्राथमिकताओं का निर्धारण ग्रामवासियों को चौपाल में एकत्र कर एक-एक व्यक्ति से अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। ग्राम प्रधान श्री मनोज सिंह कहते हैं कि इसका ग्रामवासियों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा सभी लोगों को यह महसूस हुआ कि यह मेरा काम है जिससे निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि हुई तथा सहभागिता के आधार पर सहायक कार्यों में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा

लिया अतः लागत भी कम हुई। साथ ही सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण में भी ग्रामीणों की सहभागिता से कम लागत में वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न हो सका। ग्राम प्रधान बताते हैं कि यह उनका प्रथम काम था और ग्रामीणों के सहयोग से उनका उत्साहवर्धन हुआ। फिर आगे आने वाले कामों की प्राथमिकता एवं संसाधनों का निर्धारण चौपालों के आधार पर किया जाने लगा जिससे ग्रामवासियों की सहभागिता दिनों-दिन बढ़ती गयी। उसी अनुपात में निर्माण लागत कम हुई तथा निर्माण की गुणवत्ता बढ़ी तथा रखरखाव में भी सभी ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त हुआ। इन प्रयोगों के परिणाम को देखते हुए ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार सिंह ने अपनी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया, चयनित व्यक्तियों की सूची तथा वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन के तहत चयन एवं चयनित व्यक्तियों की सूची पारदर्शी रखते हुए ग्रामसभा सचिवालय में सभी के लिए सुलभ बनायी। मनरेगा के तहत चयनित ग्रामीणों के चयन के आधार के साथ सूची तथा मनरेगा के अन्तर्गत किए गए कामों का स्पष्ट लेखा-जोखा ग्राम सचिवालय में उपलब्ध रहता है।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सभी ग्राम पंचायतों को भी इसके अन्तर्गत लाया गया है। इसके तहत कोई भी ग्रामीण निर्धारित शुल्क जमा कर न्याय पंचायत द्वारा किये गये कार्यों की सूचना मांग सकता है जिसको निर्धारित समय में उपलब्ध कराना होता है। लेकिन रेहांव ग्राम में किसी भी ग्रामीण के लिखित या मौखिक निवेदन पर निशुल्क ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव द्वारा एक से दो दिन के अन्तर्गत उसके द्वारा मांगी गई सूचना का निरीक्षण एवं फोटोकापी कराने की अनुमति है। ग्राम पंचायत द्वारा लिए गये सभी निर्णय एवं निर्माण कार्य के सभी दस्तातेज सुरक्षित रूप से रखे गए हैं, जिसका अवलोकन कभी भी किया जा सकता है। रेहांव गांव ने सहभागिता और पारदर्शिता को अपना कर सामाजिक एकता एवं आर्थिक विकास की एक नई मिसाल स्थापित की है। योजनाओं के प्राथमिकता निर्धारण से लेकर, क्रियान्वयन एवं संसाधनों के रखरखाव तक ग्रामीणों की सहभागिता ने उनके अन्दर उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया है।

पंचायती राज भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ा है उसमें एकता एवं विकास दो अहम बिन्दु हैं। रेहांव गांव ने उस एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सत्ता में भागीदारी, आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व की भावना से ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया है।

(लेखक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में राजनीति विज्ञान विभाग में शोध छात्र हैं।)

डिजिटल क्रांति से बदलता ग्रामीण समाज

—ललन कुमार महतो

ग्रामीण भारत के बदलते सामाजिक परिवेश में 'डिजिटल इंडिया' एक क्रांति के रूप में अग्रसित होने की संभावना है। 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से गांवों के लोगों में संचार क्रांति, वित्तीय समावेशन आदि क्षेत्रों में दूरगामी बदलाव आने की भी संभावना है। यदि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, और पात्रता अनुसारिक लाभ बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या मनमानी के प्राप्त हो, तो तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरूरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है, जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में उन्मुख होगा।

पारदर्शी, सरल और सुलभ प्रशासन किसी भी समाज, प्रदेश या राष्ट्र के बुनियादी विकास को नये स्तर पर ले जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि प्रशासन की पहुंच हर नागरिक तक समान रूप से हो जाए और अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति भी सामाजिक सुविधाओं का लाभ सुगमता के साथ उठा सके, तो सामाजिक बदलाव की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है। आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी इतनी समर्थ है कि यह नागरिकों को घर बैठे ही तमाम सूचनाएं उपलब्ध

करा सकती है और उन्हें उनका अधिकार दिलवा सकती है। यही वजह है कि केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की इस ताकत को समाज के जीवन-स्तर को उन्नत और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने संपूर्ण भारत को डिजिटल करने वाली नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समाज के डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से तैयार होने वाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप देश का विकास इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम से यह उम्मीद की जा रही है कि नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता मोबाइल व कम्प्यूटर के माध्यम से रीयल टाइम में सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य फोकस सरकारी गतिविधियों से आम जन के जु़ड़ाव का सशक्तीकरण करना और पारदर्शी तथा सहभागिता वाले प्रशासन को नया आयाम देना है।

'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान





केन्द्रित किया जा रहा है, वह है भारतीय प्रतिभागी (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) + कल का भारत (आईटी)। 'डिजिटल इंडिया' एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह-तरह के आइडिया और विचारों को एकल एवं व्यापक विज़न में समाहित करता है ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का समन्वयक डीईआईटीवाई द्वारा किया जाना है। वहीं इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है।

'डिजिटल इंडिया' का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है—

- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा,
- मांग पर संचालन एवं सेवाएं और
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे में ये उपलब्ध हैं—नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाईस्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान अंकित करने का ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा, ऑनलाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य है, मोबाइल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिसमें डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके, साझा सेवा केन्द्र तक आसान पहुंच, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान और सुरक्षित साइबर स्पेस।

सभी विभागों और न्यायालयों में मांग पर समेकित सेवाओं समेत शासन और सेवाओं, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरकों को क्लाउड एड पर उपलब्ध करने का अधिकार है। डिजिटल तब्दील सेवाओं के द्वारा व्यवसाय में सहजता, इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित वित्तीय लेन-देन, निर्णय सहायता सिस्टम और विकास के लिए जीआईएस का फायदा उठाना है।

नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के साथ में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सर्वत्र सुगम डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों और पोर्टेबिलिटी के सभी अधिकारों को क्लाउड के द्वारा सहयोगपूर्ण बनाना। शासकीय दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों आदि को उनकी मौजूदगी के बिना भी भरा जा सकेगा।

इंटरनेट युग का आरम्भ और विस्तार

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इंटरनेट ने आम जन को जागरूक करने की दिशा में एक सेतु का काम किया है। यदि

इतिहास के पन्ने पलटें, तो नब्बे के दशक में भारत में अपनी दस्तक देने वाली वैश्विक इंटरनेट क्रांति को 'डिजिटल इंडिया' की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। 15 अगस्त, 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के माध्यम से पहली बार इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की गई और इसकी सफलता यह रही कि अगले 6 महीने में ही 10 हजार से अधिक लोग इस माध्यम से जुड़ गये। अगले एक दशक में यह अपने पंख इसलिए नहीं पसार सका, क्योंकि उस वक्त नेरोबैंड कनेक्शन के द्वारा डायल अप से इंटरनेट सुविधाएं मिलती थीं और इसकी गति बहुत कम थी। इसके पश्चात् 56 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से चलने वाला इंटरनेट 256 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से दौड़ने लगा। इस बदलाव से देश में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ और वर्ष 2010 में 3जी तथा उसके पश्चात् हाल ही में 4जी सेवा ने देश के आम जन तक इंटरनेट सेवाओं की आसान पहुंच को सुनिश्चित किया। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के अंत तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में देश दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

वायरलेस इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार

कभी तारों के सहारे अंतिम छोर तक पहुंचने वाला इंटरनेट कनेक्शन आज उपभोक्ताओं को बेतार माध्यम से मिल रहा है। स्मार्टफोन की पहुंच अब ग्रामीण उपभोक्ताओं तक होने वाली है और वे भी आसानी से इंटरनेट सुविधाओं के साथ जुड़ गये हैं। 28 फरवरी, 2015 तक के आंकड़ों को देखा जाए, तो देश में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है। कुल जनसंख्या के हिसाब से यह आंकड़ा 77.58 प्रतिशत है और इस आधार पर भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यदि स्मार्टफोन की बात की जाए, तो वर्ष 2013 में गूगल के 'अवसर मोबाइल प्लेनेट' ने स्मार्टफोन की पहुंच को लेकर विभिन्न देशों की एक सूची जारी की थी, जिसमें भारत 16.8 प्रतिशत के साथ 45वें स्थान पर था। इसके बाद देश में स्मार्टफोन क्रांति ने नया स्वरूप लिया। सही मायने में 'डिजिटल इंडिया' के उद्देश्यों की पूर्ति इसी क्रांति के माध्यम से हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा भी है कि स्मार्टफोन आपके हाथ में है, वह बड़ा शक्तिशाली है। उन्होंने नागरिकों से इसकी ताकत को पहचानने का आहवान किया।

'डिजिटल इंडिया' और नागरिकों की विशिष्ट पहचान

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सेवा मुहैया कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया



जाएगा। ऐसी बुनियादी सेवाओं के माध्यम से देश ज्ञान के एक ऐसे भविष्य की ओर उन्मुख होगा, जहां प्रशासन और सेवा हर मांग पर उपलब्ध होगी। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मुद्दा है। इसी सोच के साथ बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र यानी आधार कार्ड को भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या उपलब्ध कराता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते को निर्धारित करती है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है। आधार संख्या से उन्हें बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। यह सरल ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है। 'डिजिटल इंडिया' तकनीक आधारित क्रांति पर भरोसा करता है और तकनीकी की वजह से अब प्रत्येक क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान सरकार के कार्यक्रम में 'पहल' योजना के अंतर्गत गैर-सब्सिडी जैसे अनुदान सीधे ही उपभोक्ता के बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। आधार संख्या की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र के साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे ही मिले और राशि सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। इसमें उपभोक्ता की पहचान को सुनिश्चित करने में आधार संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत ई-लॉकर व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार संख्या का होना आवश्यक है। ऐसे में आधार संख्या डिटिजल इंडिया की संकल्पना को आगे बढ़ाने में भील का पथर साबित हो रही है।

डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशी योजनाएं

गत वर्ष अगस्त में लागू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' का उद्देश्य भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाते और डेबिट कार्ड मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई। योजना आर्थिक निरंतरता बढ़ाने और जनता को वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक जमा खाते, कर्ज और बीमा प्रदान करने के लिए एक साधन के तौर पर तैयार की गई। यदि इसकी मूल भावना को देखा जाए तो यह भी डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों का पूरा करती दिखाई देती है।

'मेरा खाता - भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई इस योजना में भारतीय समाज में गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षित करना, ओवरड्राफ्ट सुविधा और पेंशन योजना

दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल है। इसका उद्देश्य सन् 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाना है। यह योजना सरकारी कार्यालयों में किसी भी रूप में मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ने के एक हथियार के तौर पर उपयोग के लिए बनी है। भारत की अधिकतर जनता के बैंक खाते होने पर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा सकेगी, जिससे रिश्वत के मामलों पर काबू किया जा सकेगा। इस प्रकार देखा जाए तो यह योजना 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार करने में सहयोगी है। 'डिजिटल इंडिया' के तहत अर्थव्यवस्था तेजी से 'कैशलेस' हो जाएगी और आशातीत बदलाव दिखाई देगा।

एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर 17.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए तथा 22,000 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों तथा नक्सली हिंसा से प्रभावित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर प्रति परिवार एक खाता खोलने का लक्ष्य 26 जनवरी 2015 को हासिल कर लिया गया।

इस तरह की योजनाओं के पीछे केन्द्र सरकार की सोच यह है कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे और साथ ही तकनीक के इस्तेमाल से वातावरण तैयार हो सके, जो आम जन तक की पहुंच को सुनिश्चित करें। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत बनाने में इस तरह की योजनाओं का अच्छा योगदान साबित होगा।

विकास के अवसर

एक लाख तेरह हजार करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम से किस तरह के सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसके परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य पहलू हैं – प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, जैसे पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, मोबाइल सेवाओं का विस्तार और मोबाइल से वित्तीय समावेशन। दूसरा, प्रशासन एवं इसकी सेवाओं को आम नागरिक तक पहुंचाना जिससे उन्हें लंबी कतारों, भ्रष्टाचार और मजदूरी के नुकसान से छुटकारा मिल सके और तीसरा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण, जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विकास, साथ ही कम्प्यूटर और मोबाइल पर भारतीय भाषाओं में काम करने को और आसान बनाना।

इस कार्यक्रम के तहत 2017 तक ढाई लाख पंचायतों सहित छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी भी जा

चुकी हैं। साथ ही इसके तहत 1.7 लाख आईटी पेशेवर भी तैयार किए जाएंगे, इसके लिए केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की सोच यह भी है कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर इन तीनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोये गये बीज संबंधी विवरण होंगा तो हम उत्पादन के स्वरूप का पता लगा सकते हैं।

‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम के तहत भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस कार्यक्रम के तहत हर रिकॉर्ड को सहेजने के लिए डाटाबेस में हरेक विपणन रखना आवश्यक हो जाएगा, जिससे प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाब को बेहतर किया जा सके। इस कार्यक्रम के गति पकड़ने से सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर की राह भी खुलेगी, जो सभी प्रकार की ई-प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। इसके अतिरिक्त समाज का हर क्षेत्र इस क्रांति से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

डिजिटल इंडिया के स्तम्भ

डिजिटल इंडिया के 9 स्तम्भ हैं :—

ब्राउडबैंड हाइवेज; सबकी फोन तक पहुंच; सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम; ई-गवर्नेंस—तकनीकी मदद से सरकारी तंत्र सुधार; ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी; सभी को सूचना; इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में शून्य आयात; नौकरियों के लिए; अर्ली हारवेस्ट प्रोग्राम (जल्दी पैदावार कार्यक्रम)

नौ प्रयोग्य स्तम्भों ब्रॉडबैंड हाइवेज सबसे प्रमुख है। सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए सभी बैंड को विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय—सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन वर्षों के भीतर देशभर की ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम की सफलता इस तथ्य में निहित है कि भारतीय ग्रामीण आबादी भी इस तरह की सेवाओं का पूरा लाभ ले सके। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए देश के 55,000 गांवों में अगले 5 वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑफिलिगेशन फंड (यूएसआएफ)

का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक तरह की गतिविधियों को चलाया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विजनेस एक्सेस री-इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाणपत्रों, पहचान-पत्र का जरूरत के अनुसार ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकेगा।

यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण—आधार संख्या, पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, ढाई लाख स्कूलों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नगदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना भी इस कार्यक्रम में उद्देश्यों में शामिल है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हेल्प्स्केयर की सुविधा देना भी इस कार्यक्रम का एक स्तम्भ है। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग माइक्रो-एटीएम कार्यक्रम आदि भी इसके अंतर्गत चलाये जाते हैं।

इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेज तक ऑनलाइन पहुंच भी कायम की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेंगी। साथ ही नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जाएगी।

‘डिजिटल इंडिया’ के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत



'नेट जीरो इंपोर्ट्स' का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक आयात के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए जाएंगे। फैब-लेस डिजाइन, सेटटॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो-एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार में रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जायेगा। साथ ही संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करेंगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आईटी से जुड़े रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रमशक्ति की भी जरूरत पड़ेगी जिसे तैयार करना होगा। इसे अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत स्थान दिया गया है।

डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत कई मौजूदा योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करना है, जिसके दायरों को पुर्नगठित और पुर्नकेन्द्रित किया गया है। क्लाउड, मोबाइल इत्यादि तकनीकी को बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रक्रिया पुनर्जनन और

प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना, अंत-प्रचालनीय उपक्रम और एकीकृत सेवा प्रदान करने के मानकों पर आधारित है और इसे समकालिक ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से "मेड इन इंडिया" इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा देना और देश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावना को बढ़ावा देना शामिल है।

‘डिजिटल इंडिया’ की चुनौतियां

'डिजिटल इंडिया' के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधन की कमी की आएगी। देश में जितना मानव श्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियोजित है, उसे कई गुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी देश के सामने किसी चुनौती से कम नहीं। नेसकॉम के मुखिया चन्द्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आ सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है। तीसरी बड़ी चुनौती विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की है। केन्द्र सरकार का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर इससे विशाल कार्यक्रम पहले कभी नहीं चलाया गया है। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एक-दूसरे के सहयोगी और सहभागी हैं और उन्हें आपसी समन्वय कर इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचाना होगा। यह कार्य मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार व अधिवक्ता हैं।
ई-मेल: lalan_kumar@yahoo.com

सदस्यता कूपन

मैं/हमकुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

पिन

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003

कैसे करें अपना बचाव आकाशीय बिजली से

—अशोक मतोरम

कई बार जब बादल गरजते हैं तो साथ में बिजली भी चमकती है। ऐसे में कई सवाल मन में कौथते हैं कि आखिर आकाशीय बिजली क्यों और कैसे बनती है। लेकिन ये अजीब बात है कि इस पहली को वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। मशहूर वैज्ञानिक बेन्जमिन फ्रेंकलिन उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने बिजली चमकने के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की थी। उनका ये निष्कर्ष बिल्कुल सही था कि बिजली कौंधना दरअसल एक प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है।

अक्सर देखा जाता है कि कड़कड़ती बिजली के साथ हुई बरसात से कहीं बकरियां, कहीं आदमी मौत के मुंह में समा जाते हैं। बिजली गिरने से कई लोगों की मौत होते देखा गया है। एक घटना रागस्थान की है। उस समय खेत में 2 चरवाहिन लड़कियां बकरियों को चरा रही थीं। जान बचाने को एक पेड़ के नीचे छिपी थीं। बरसात के शुरू होते ही वे पेड़ के नीचे बकरियों को लेकर छुप गईं। उसी दरमियान पेड़ पर आसमानी बिजली गिरने से बकरियों के साथ-साथ उन दोनों चरवाहिनों की भी मौत हो गई। ऐसी कितनी ही घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और कई लोगों को मौत अपनी गिरफ्त में ले लेती है।

ऐसे में बरसात में बिजली में आने वाली बाधाओं व बिजलीजनित हादसों से जान-माल की हानि को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें—



ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारियां

- घर में ईएलसीबी स्विच जरूर लगवाएं, जिससे घर के बिजली तंत्र में गड़बड़ी होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाए और जीवन हानि को टाला जा सके।
- बिजली फीटिंग के साथ ही अर्थ वायर डाला जाना व समूचे तंत्र को घर के बाहर उपयुक्त अर्थ पर जोड़ना चाहिए और उसकी समय-समय पर जांच कराते रहना चाहिए।
- बिजली के खंभों से पशुओं को न बांधें। बिजली के खंभों को खासतौर पर बारिश के मौसम में बेवजह न छुएं।
- दूटे हुए बिजली के तार को हाथ न लगाएं और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करनें दें तथा तत्काल नजदीक के बिजली कार्यालय को सूचित करें।
- यह भी ध्यान रखें कि पशुओं के तबेलों के आसपास बिजली आपूर्ति के लिए घरेलू वायरिंग खुली न हो तथा पीवीसी पाइप में उचित तरीके से स्थापित की गई हो।
- बिजली की लाइनों के नीचे कोई भी वाहन खड़ा करने से बचें।
- बिजली की लाइनों के नीचे या बिजली के खंभे के नजदीक किसी भी जानवर को बांधना एवं सामान का रखना वर्जित है।
- छत पर या आसपास से गुजरती हुई बिजली की लाइन से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिजली लाइन से पर्याप्त दूरी बनाए रहना चाहिए।
- बिजली के खंभे, वितरण बॉक्स, ट्रांसफार्मर, अर्थिंग वायर आदि से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
- बिजली के खंभे या स्टे-वायर से डोरी बांधकर उस पर कपड़े सुखाने से परहेज करना चाहिए।



- हार्वर्स्टर मशीन, जेसीबी मशीन, बोरवेल मशीन, भूसा गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, बसों की छत पर बैठे व्यक्ति ऊपर से गुजर रही 33 / 11 केवी लाइन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इसके लिए सड़क से गुजरते समय विद्युत लाइनों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए।

आकाशीय बिजली से कैसे बचें

- जब आसमान में घटाएं धूमड रहीं हो, चपला चमक रही हो, जोरदार वर्षा हो रही हो, ऐसे में तालाब के किनारे अथवा पानी से भरे खेत में जानवरों के साथ अधिक देर तक नहीं रहें।
- लकड़ी की डंडी वाली छतरी लेकर बरसात के मौसम में घर से निकले, क्योंकि लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है।
- पैर में चमड़े या प्लास्टिक के जूते पहने।

क्यों और कैसे बनती है आसमानी बिजली

कई बार जब बादल गरजते हैं तो साथ में बिजली भी चमकती है। ऐसे में कई सवाल मन में कौधरते हैं कि आखिर आकाशीय बिजली क्यों और कैसे बनती है। लेकिन ये अजीब बात है कि इस पहली को वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं।

मशहूर वैज्ञानिक बेन्जमिन फ्रेंकलिन उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने बिजली चमकने के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की थी।

उनका ये निष्कर्ष बिल्कुल सही था कि बिजली कौंधना दरअसल एक प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हैं कि उनका 1752 में चर्चित 'काइट एंड की' प्रयोग कभी महज विचार से आगे बढ़ पाया था या नहीं।

कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि बर्फ के कण जब आपस में टकराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है, और बर्फ के छोटे कण में आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना रहती है जबकि बड़े कणों में नेगेटिव चार्ज।

जैसे—जैसे छोटे कण कनवेक्शन करने के कारण ऊपर उठने लगते हैं, वैसे—वैसे बड़े कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठने लगते हैं। इस तरह विपरीत चार्ज वाले कण एक—दूसरे से अलग होने लगते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार हो जाता है। बिजली कौंधने से ये फील्ड डिस्चार्ज हो जाता है। दरअसल ये चार्ज हो चुके बादल और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ी चिंगारी की तरह होता है। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये चिंगारी पैदा कैसे होती है।

कॉस्मिक किरणों का रहस्य

कॉस्मिक किरणों सुपरनोवा जैसी प्रक्रियाओं के दौरान प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। एक विचार यह भी है कि ये चिंगारी



अंतरिक्ष से वातावरण में जाने वाली कॉस्मिक किरणों के कारण पैदा होती है।

कॉस्मिक किरणों सुपरनोवा जैसी प्रक्रियाओं के दौरान आमतौर पर प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन से बनती हैं।

अगर एक कॉस्मिक किरण हवा के अणु के साथ टकराती है, तो इससे कई तरह के पार्टिकल निकल सकते हैं। ये बाद में अन्य अणुओं के साथ टकराते हैं, उनको आयोनाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। 1997 में रस्स के वैज्ञानिक एलेक्जेंडर गुरेविच और उनके सहयोगियों ने भी इशारा किया था कि कैसे कॉस्मिक किरणें चार्ज पैदा करती होंगी।

उनके मुताबिक बादलों के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं जिससे और टकराव पैदा होता है तथा बिजली कौंधती है। इस प्रक्रिया के तहत एक्स-रे और गामा रे निकल सकती हैं।

बादल गरजने और बिजली चमकने के दौरान उपग्रहों ने भी एक्स-रे और गामा-रे का पता लगाया है। इससे लगता है कि वैज्ञानिक एलेक्जेंडर की बात सही हो सकती है।

आतं:

- विज्ञान प्रगति के वर्षा—सिंचार्झ विशेषाक से विज्ञान संबंधित जानकारियां
- घाघ व मङ्गरी की कहावत कोश से वर्षा के बदलाव व उसके बरसने की जानकारी।
- टाइम्स ऑफ इंडिया 2005 के अंक से कुछ टिप्प की जानकारियां

(वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक हिन्दुस्तान)
ई-मेल: ashok.manoral@1959@gmail.com

सौर ऊर्जा से मिटा गांव का अंधेरा

—संदीप कुमार

सौर ऊर्जा की रोशनी से नहाने वाला गांव देखना हो, तो धरनई आएं। यह बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव है। इस गांव के पास अपना पावर ग्रिड है। गांव के हर रास्ते और गली में थोड़ी-थोड़ी दूर पर सोलर लाइट के खंभे हैं। उन पर दुधिया रोशनी देने वाले लाइट लगे हैं। अब इस गांव में अंधेरे का नहीं, उजाले का डेरा है। इस गांव में 100 किलोवाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो रहा है। 70 किलोवाट बिजली लोगों के घरेलू उपयोग के लिए और 30 किलोवाट सिंचाई के लिए तय है। इतने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उत्पादन वाला यह पहला गांव है।

धरनई बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव है। इस गांव के पास अपना पावर ग्रिड है। गांव के हर रास्ते और गली में थोड़ी-थोड़ी दूर पर सोलर लाइट के खंभे हैं। इस गांव में 100 किलोवाट पॉवर का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो रहा है। 70 किलोवाट बिजली लोगों के घरेलू उपयोग के लिए और 30 किलोवाट सिंचाई के लिए तय है। इतने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उत्पादन वाला यह पहला गांव है। धरनई भारत का पहला गांव है, जहां 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है। गांव को चार कलस्टर विशुनपुर, धरनई, धरमती और डिटकोरिया में बांटकर चार सोलर माइक्रो ग्रिड पावर स्टेशन लगाए गए हैं।

पिछले दो माह से यहां बिजली का उत्पादन, वितरण और उपयोग हो रहा है। यह प्रयोग सफल है। जल्द ही इसे कलस्टर-स्टर पर गठित ग्राम समितियों को सौंप दिया जाएगा। अब भी इसकी देखरेख का काम ग्राम समितियां ही कर रही हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हस्तांतरण नहीं हुआ है। बिहार के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट है। यह प्लांट पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'ग्रीनपीस' ने तैयार किया है। इस पर करीब सवा दो करोड़ की लागत आयी है। अब इसे राज्य के दूसरे वैसे गांवों में लगाने का राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया जाना है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है या बिजली की आधारभूत संरचना किसी कारण से नष्ट हो चुकी है।

सौर ऊर्जा से 35 साल बाद मिली ग्रामीणों को रोशनी

धरनई जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में पड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर पटना—गया मुख्य सड़क के ठीक बगल में बसा हुआ है। इसके दूसरी ओर बराबर रेलवे हॉल्ट है। बराबर की पहाड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके बाद भी इस गांव में 35 सालों से बिजली नहीं थी। चार दशक पहले यहां बिजली आयी थी, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी पूरी संरचना नष्ट हो गयी। गांव में बिजली के खंभे अब भी हैं, लेकिन न तो उनके सिरों





से गुजरता तार है, न ट्रांसफॉर्मर। गांव के बुजुर्ग उसे याद करते हैं जब युवा पीढ़ी बिजली की बस कहानी सुनती रही। यहां कई ऐसी औरतें और लड़कियां हैं, जिन्होंने बिजली से जलता बल्ब और धूमता पंखा नहीं देखा था। बिजली नहीं रहने के कारण ज्यादातर परिवार के लोगों ने बच्चों को बाहर भेज दिया है। गांव में खेत-खिलान हैं। घर-द्वार है। लिहाजा बड़े-बुजुर्ग यहां रहकर खेती-गृहस्थी की रखवाली करते हैं। कुछ संपन्न परिवार हैं, जिन्होंने वैकिल्पक ऊर्जा के लिए अपने घरों में सोलर प्लेट लगा रखी है, लेकिन ऐसे परिवारों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर परिवार अंधेरे में रात बिताते थे। शाम होते ही गांवों में अंधेरा पसर जाता था।



अब रात हुई रोशन

सौर ऊर्जा की बदौलत अब यह गांव रात भर जगमग रोशनी में नहा रहा है। गांव चार टोलों में बंटा है। मुख्य सड़क से गांव के अंतिम छोर तक हर टोले के हर गली-रास्ते में सोलर लाइट के 40 खंभों पर ट्यूब लाइट लगे हुए हैं। शाम होते ही गांव दुधिया रोशनी से नहा उठता है। गांव में 450 घर हैं। इन सभी घरों को बिजली देने का प्रस्ताव है। अभी 300 घरों को बिजली मिली है। लोग बल्ब जलाने के साथ-साथ बिजली के पंखे भी चला रहे हैं और मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। पहले मोबाइल चार्ज कराने उन्हें दूसरे गांव या बाजार जाना होता था। जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, तब इस गांव के लोगों ने 24-24 घंटे बिजली के पंखे चलाये थे। अनुसूचित जनजातियों के टोले में 75 घर हैं। वहां अब तक 44 घरों में कनेक्शन दिया गया है। गांव में छोटे-बड़े दो सौ से अधिक किसान हैं, जो डीजल से खेती करते हैं। गांव में थ्री-एचपी के दस सोलर पंप लगाने की योजना है। अब तक दो-तीन पंप लग चुके हैं, जिसका उपयोग गांव के लोग सिंचाई और नहाने-धुलाने में कर रहे हैं।

धरनई प्रोजेक्ट की पांच बड़ी खासियत

धरनई प्रोजेक्ट की पांच बड़ी खासियत हैं। पहली खासियत यह कि इसमें जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी फोटो वोल्टैक (सोलर प्लेट) मकानों की छतों पर लगाए गए हैं। इससे गांव की जमीन बेकार नहीं हुई है। दूसरी कि यहां 100 किलोवाट क्षमता का प्लांट है। तीसरी कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भवन नहीं बनाया गया है। किसान प्रशिक्षण भवन, सामुदायिक भवन और पैक्स भवन के एक-एक कमरे और उनकी छतों का ही इस्तेमाल हुआ है। चौथी कि इसमें समुदाय की भागीदारी अधिक है और अंतिम रूप से इसका संचालन

गांव के लोगों को ही समिति बना कर करना है। पांचवीं खासियत कि पूरे प्रोजेक्ट की 30 प्रतिशत ऊर्जा को खेती के लिए सुरक्षित किया गया है। इसके लिए अलग से ग्रिड स्टेशन की व्यवस्था है।

समुदाय आधारित प्रबंधन

पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन समुदाय आधारित है। अभी प्रत्येक उपभोक्ता परिवार से पांच-पांच सौ रुपये सुरक्षित राशि लेकर कनेक्शन दिया गया है। जल्द ही सभी को मीटर दिया जाएगा और खपत के आधार पर प्रति यूनिट की दर से उनसे बिजली बिल वसूला जाएगा। यह काम कलस्टर-स्टर पर गठित समितियां करेंगी। पूरे प्लांट की सुरक्षा, रखरखाव, कर्मचारियों का वेतन भुगतान और बिजली चोरी को रोकने की जबाबदेही इस समिति की होगी। अभी समिति की हर माह बैठक होती है।

हरिजन टोले की बदली तस्वीर

गांव में 77 घर हरिजनों के हैं। इनमें से किसी भी घर में बिजली नहीं थी। जब गांव में सौर ऊर्जा से बिजली के आने की बात हुई, तो टोले के लोग उत्साह से भर उठे। आज 44 लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया है। बाकी लोग भी यह लाभ लेने की तैयारी में हैं। टोले का युवक पप्पू मांझी बताता है कि सोलर लाइट से अब हमारा गांव रोशन है। बिजली के तार भी नंगे नहीं हैं।

सिंचाई सुविधा कुछ तो बढ़ेगी

अशोक कुमार गांव के बड़े किसान हैं। उनका कहना है कि सौ घंटे डीजल पंप चलाते हैं, तो पूरे खेत की सिंचाई होती है। सोलर पंप से हम कितनी सिंचाई कर सकेंगे, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तो मदद मिलेगी। जो छोटे किसान हैं, वे इसका ज्यादा लाभ ले सकेंगे।



देर तक पढ़ती है बिट्या

टोले की वीणा कुमारी पांचवीं कक्षा की छात्रा हैं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। वह कभी गांव से बाहर नहीं निकली थी। उसने कभी बिजली से चलते बल्ब या बिजली से चलते पंखे को नहीं देखा था। वह ढिबरी की रोशनी में पढ़ती थी। अब उसके घर में भी बिजली है। वह अब देर रात तक सोलर लाइट में पढ़ पा रही है।

गांव को मिली पहचान

अखिलेश कुमार बेहद उत्साहित हैं। पूरी उम्र गांव में बितायी। बिजली के बगैर जिंदगी चल रही थी। अब उसका गांव रात में दूर से ही दिखायी देता है। जगमग गांव को सौर ऊर्जा से नयी पहचान मिली है। बकौल अखिलेश गांव की वैसी पीढ़ी, जिसकी उम्र 35 सालों तक की है, उसने बिजली के बल्ब की रोशनी को अब तक जाना ही नहीं था। गांव के अंतिम छोर से गुजरने वाली पटना—गया रेललाइन को दिखाते हुए वह कहते हैं, रात में जब कोई ट्रेन गुजरती थी, तब हम गांववाले उसके डिब्बे में जलते बल्बों को देखकर बातें करते थे कि रात में बल्ब का प्रकाश ऐसे होता है।

बदल रहा है गांव

बिजली से जगमग हो रहे गांव को लेकर ग्रामीण कहते हैं, अब तो हमारा गांव रात में दूर से ही पहचान में आ जाता है। उनकी बातों से खुशी स्पष्ट झलकती है, वो कहते हैं, आसपास के गांवों में जब बिजली नहीं रहती है तब भी हमारा गांव दूधिया रोशनी में नहाया रहता है।

क्या कहते हैं संस्था के अधिकारी

संस्था के अधिकारी मनीष राम टी कहते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए राज्य भर में करीब 20 गांवों को देखा गया, अंत में धरनई का चुनाव हुआ। गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन यहां के लोग काफी जागृत थे। एक ऐसे गांव को चुना जाए जो थोड़ा—बहुत विकसित होकर रेवेन्यू दे सके। जब हमने काम शुरू किया तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि गांव में बिजली आयेगी। हमने सोचा अगर हम यहां काम करेंगे तो लोगों को काफी खुशी होगी। हमें उम्मीद यही थी कि हमारा कार्य सफल होगा और ऐसा हुआ भी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।
ई-मेल : sanoo7th@gmail.com

राष्ट्रीय एकता दिवस पर ‘एकता दौड़’ का आयोजन


देश के प्रथम गृहमंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली के राजपथ पर “एकता दौड़” का आयोजन किया गया जहां प्रधानमंत्री ने एकत्रित लोगों को शपथ दिलाई और ‘एकता दौड़’ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एकत्रित युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की एकता सरदार पटेल ने एक सूत्र में पिरोई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने हमें ‘एक भारत’ दिया था और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे ‘श्रेष्ठ भारत’ बनाएं। उन्होंने कहा कि एकता, शांति और सौहार्द वे सिद्धांत हैं जिन पर चलकर 125 करोड़ भारतीय आगे बढ़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने 1920 के दशक में अहमदाबाद के मेयर के रूप में साफ—सफाई अभियान और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव सहित सरदार पटेल द्वारा उठाए गए कदमों का स्मरण किया। श्री नरेंद्र मोदी ने नई योजना ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की रूपरेखा रखी, जिस पर केन्द्र सरकार राज्यों के साथ तालमेल से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दो राज्य एक वर्ष की अवधि के लिए अनोखी साझेदारी करेंगे। इस अवधि के दौरान चयनित दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान—प्रदान किया जाएगा, जिससे इन राज्यों के लोगों को एक—दूसरे को समझने और करीब आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष अलग—अलग राज्य एक—दूसरे के साझेदार हो सकते हैं।

चौत: प.सू.का



योजना



विकास समर्पित मासिक
योजना

विकास
योजना

योजना
योजना

योजना

योजना

योजना

योजना

योजना
योजना

योजना

योजना

योजना
योजना

योजना



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

दी.जी.ओ. काग्जलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

फोन- 011 24367260, 24365609

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

www.facebook.com/publicationsdivision

ग्राहक बनने के लिए व्यापर शाखा से संपर्क करें

011-24365609 or e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com

आज ही अपनी प्रति
सुरक्षित करें

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17

1 दिसम्बर 2015 को प्रकाशित एवं 5-6 दिसम्बर 2015 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.



एक कदम स्वच्छता की ओर



प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राचत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द भीना